
पर्दादारी
खवातीन के अहमतरीन मसाइल
नमाज, तहारत, पर्दा, निकाह ..
मुसन्निफ
सय्यिद मुहम्मद सिकंदर वारसी

नाम किताब - **पर्दादारी**

तस्नीफ़ - सय्यिद मुहम्मद **सिकन्दर वारसी**

अनुवाद - अज़ खुद मुसन्निफ़

कम्पोजिंग - अज़ खुद मुसन्निफ़

प्रूफरीडिंग - नूर हसन

प्रूफरीडिंग - सफ़ा सुलैमान

सफ़हात - 95

कुल सुवाल - 70

कीमत –

मिलने का पता - www.smswarsi.com

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين

الصلوة والسلام علیک یارسول الله (أم بعد)

अर्ज़े - मुसन्निफ़

वैसे तो ख़वातीन के मसाइल पर अहले सुन्नत के पास कुतुब का ज़खीरा मौजूद है मगर या तो वो किसी 1 मौज़ू पर होती है वरना मुक़म्मल मसाइल की वजह से ज़खीम हो जाती है, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं की दौरे हाज़िर में पेश आने वाले मसाइल या ग़लतफ़हमी का जवाब उसमे हो. लिहाज़ा **इस किताब में वही सवालात दर्ज है** जो लोग को पेश आये और उन्होंने दरयाफ्त किया, और इसमें अक्सर क़िस्म के सवालात दर्ज है जैसे. **नमाज़**, तहारत, तरावीह, निकाह, और ख़वातीन में पाई जाने वाली **ग़लत रस्मो वगेरा वगेरा**. जिसमे हमारी अवाम को सीखने में आसानी भी हो और वो अपने आमाल और अक़ीदे को मेहफ़ूज़ कर सके, लिहाज़ा मैं उम्मीद करता हूँ, **इसे हर खातून को कम अज़ कम एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए,** ताकि वो अपने आमाल को दुरुस्त कर सके, और अपने बच्चो को भी समझा सके, और सिखा सके किताब **मसाइले शरीअत** की 4 जिल्दे मुक़म्मल होने के साथ ही उसमे हज़ारो फ़िक़्ही सुवालात के जवाबात मेहफ़ूज़ किये जा चुके थे, जो की फ़िक़्ही हनफ़ी की मज़हब पर लोगो के ज़रिये सुवाल ज़वाब का मजमुआ है, उसमे ना सिर्फ मसाइले अहनाफ दर्ज थे, सेकड़ो मसाइल ख़वातीन के ज़रिये पूछे गए और ख़वातीन से मुताल्लिक़, मगर किताब ज़खीम होने की वजह से लोग उसका मुक़म्मल मुताला करते ? ये ज़रूरी नहीं था, लिहाज़ा ज़रूरत को महसूस करते हुए **उस किताब से ख़ास ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाले सवाल जवाब चुन कर अलग कर लिए गया,** ताकि ख़वातीन के लिए एक आसान फेहम किताब तरकीब में आ सके, पेशे नज़र किताब "**पर्दादारी**" उसी मसाइले शरीअत किताब से चुने गए सुवाल जवाब हैं,

किताब की ज़रूरत क्यों हुई -

क्यूंकि ये किताब खास ख़वातीन के लिए तोहफा है इसिलए इसे सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट लिया गया, इसमें शक नहीं अक्सर **अवाम उर्दू से वाक़िफ़ नहीं है,** और वो ज़खीम किताबे हिंदी की भी पढ़ने से परहैज़ करती है, लिहाज़ा **इसे आसान और सहल हिंदी में पेश किया गया** ताकि किताब का सही मक़सद वजूद में आ सके,

इस किताब में आप पढ़ सकेंगी

*ख़वातीन को तरावीह पढ़ने का हुक्म,
*वाशिंग मशीन में पाक-नापाक कपडे धोने का मसअला
*हैज़ में नियाज़ का खाना बनाना कैसा.
*साड़ी बांधना, बिंदी लगाना कैसा.
*बेआवाज़ क़ुरआन पढ़ना कैसा
*औरत को कॉपर -T लगवाना कैसा
*लेगिस पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा वगेरा वगेरा.. और भी बहुत कुछ

अल्लाह से दुआ है की, इसे पढ़ने वाली के हक़ में मग़फ़िरत का जरिया बनाये,

मख़सूस दुआ की अर्ज़- मेरी तमाम क़ुतुब की तरह ही इस किताब की प्रूफरीडिंग हर बार की तरह जनाब **नूर हसन** ने की, और साथ ही मोहतरमा बिन्ते अशरफा (**सफ़ा सुलेमान अत्तारिया**) ने भी अपना क़ीमती वक़्त देते हुए नज़रे सानी करके मुझ पर अहसान किया मैं अपने पैदा करने वाले से इन अज़ीज़ों के लिए दुआ-गो हूँ, लिहाज़ा पढ़ने वाले/वाली से भी इनके लिए **बेहिसाब मग़फ़िरत** की अर्ज़ है

Talib e DUA e **MAGHFIRAT**



Sayyid Muhamamd Sikander Warsi
sms.warsi@gamil.com
www.smswarsi.com

अहले इल्मे से गुज़ारिश है की कहीं खता पाए तो इस्लाह करें,

सुवाल 1

हज़रत ये जो आजकल औरतें लड़कियां बाज़ार में, बुर्का तो पहनती हैं मगर चेहरा खुला रखती हैं क्या ये सही है ग़ैर मर्द के सामने चेहरा खोल सकते है, और अगर किसी से कहो की चेहरा ना खोलो तो कहती हैं शरीअत ने चेहरा खोलने की इजाज़त दी है, आप बताएं क्या सही है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

पर्दादार चेहरे को चमकाता हुआ, झूठे पर्दों पर कहर बरसाता हुआ,

(राद्दुल हिजाब बिल बातिल निकाब)

(सभी माली फैली इबादत अजमत वाले शोहरत वाले इज्ज़त वाले ज़मीन और आसमान के नूर (अल्लाह) के लिए, जो चमकाएगा, कियामत में चेहरा अपने करम से इस तहरीर के लिखने वाले का, और पढने वालों और खास कर अमल करने वालों का, उनके साथ जिनके साथ वादा किया गया की कुछ चेहरे हश्र के मैदान में चमकते होंगे, और दुरूद ओ सलाम हो बेशुमार बेशुमार उस नूरानी चेहरे वाले के लिए जिनकी औलाद दर औलाद को इमामे अहले सुन्नत ने नूर फ़रमाया, और तमाम सहबा और अहले बैत पर जिन्होंने गवाही दी की हुज़ूर का चेहरा 14वी के चाँद से ज्यादा चमकदार था)

जी हाँ पुर फितन दौर को देखते हुए उलमा ने चेहरे को छिपाने को वाजिब लिखा है, मैं कहता हूँ (अल्लाह ही की तोफिक से) की सारा कमाल और वबाल चेहरे का ही है, चेहरा ही भाता है, और चेहरा ही डुबाता है, और कल दोज़ख में भी कुछ औरते अपने चेहरे नोचती होगी, मगर कुछ के चेहरे तो नूरानी होंगे तो फिर मेरी इस बात में कुछ मुबालग़ा नहीं, अगर में कहूँ, की

“हुस्न का दारो-मदार चेहरे पर है, जो ग़ैर मर्द से हुस्न को छुपाना चाहै उसे चाहिए की चेहरे को छिपा ले”

फतावा रज़विया जिल्द:14 सफह:552 पर है

“उलामा ने चेहरे छिपाना सदी अव्वल में वाजिब ना था, वाजिब कर दिया”

हिदाया में हैं: سدل الشيئ على وجهها واجب عليها

यानि: “चेहरे पर पर्दा लटकाना औरतों पर वाजिब है”

शरह लिबास में है: دلت المسئلة على ان المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلاضرورة

यानि : “यह मसअला इस बात पर दलालत करता है की औरतो को बिला ज़रूरत अजनबी लोगों पर अपना चेहरा खोलना मना है”

दुर्रे मुख़्तार में है : تمنع من كشف الوجه بين رجال لخوف الفتنة

यानि: “फ़ित्ने के खोफ से औरत को मर्दों में चेहरा खोलने से रोका जाये,”

इस किस्म के सेकड़ो मसाइल हैं जिसे उलामा ने वक़्त की नजाकत के तहत बदल दिया, और जो कहै की ये हुज़ूर (عليه السلام) के वक़्त में नहीं था या शरीअत में पहले नहीं था अब क्यूँ तो वो जाहिल है क्यूंकि इस तरह के हुक्म शरीअत के खिलाफ नहीं बल्कि ऐन शरीअत ही के मुताबिक और हुज़ूर (عليه السلام) के फरमान ही के मुताबिक हैं, और अगर कोई अहमक औरत जो अहकामे शरीअत से बेखबर हो और यूँ कहै की जब दौरे रसूल में चेहरा छिपाना वाजिब नहीं तो अब क्यूँ तो इसका जवाब ये है की दौरे रसूल में तो औरते मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ती थी

बल्कि हुज़ूर (عليه السلام) ने फ़रमाया: اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها

"जब तुम में से किसी की औरत मस्जिद जाने की इजाज़त चाहै तो उसे मना ना करो"

(इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया)

और फ़रमाया हदीस में:: لاتمنعوا اماء الله مساجد الله

"अल्लाह की कनीजों को अल्लाह की मस्जिदों से ना रोको"

(मुस्लिम और अबु दावूद ने सुनन में नक़ल किया)

मगर आज कोई औरत नहीं कहती की मस्जिद में जमाअत से नमाज़ पढना चाहती हूँ, क्यूंकि वो तो पहले ही घर में भी नमाज़ पढना नहीं चाहती और नमाज़ में कसरत है वुज़ू और हाथ पैर हिलाने की और चेहरा दिखाने में हुस्न का दिखावा ज़ीनत का इज़हार है कोई कसरत मशक्कत नहीं बल्कि दिल को भाता है, की ग़ैर हमारा हुसन देखें, तो खुद गौर कर ले की नफस की गलबे की खातिर चेहरा खोलना चाहती है या **शरीअत की खातिर.**

इसलिए तरह तरह के हीले करती है और नफस पर फ़ौरन शरीअत और रसूल का दौर याद आ जाता है, जमाअत से नमाज़ पर कभी ना आया, पहली सदी में औरतें मस्जिद जाती मगर बाद में वक़्त की नजाकत के तहत **दौरे फ़ारूक़े आज़म में इसे भी बंद करना पढ़ा**, उस वक़्त क्या हज़रत उमर और हज़रत आयशा को ये नहीं मालूम था की वो ऐसे काम पर पाबन्दी लगा रहै हैं जिस पर हबीबे खुदा ने पाबन्दी ना लगाईं, बल्कि हज़रत आयशा ने फ़रमाया:

لوا ن رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم رأی من النساء مارأینا لمنعھن من المسٰجد کما منعت بنواسرائیل نسائھا

“ हुज़ूर (علیہ السلام) हमारे ज़माने की औरतों को देखते तो उन्हें मस्जिद जाने से मना करते जैसे बनी इसराइल ने अपनी औरतों को मना कर दिया”

“इस फरमान से ये साबित है हुज़ूर (علیہ السلام) भी होते तो उस दौर को देखते हुए ज़रूर यही हुक्म देते जो हमने दिया”

इस हदीस से चमकते चेहरे की तरह साफ़ हो गया की उलामा का कोई फरमान खिलाफे रसूल नहीं होता बल्कि एन हुक्मे रसूल पर होता है, उसके बाद आज तक उलामा ने औरतो को मस्जिद की हाजरी से बाज़ रखा क्यूंकि अब तो दौर उससे भी ज्यादा आग बरसाने वाला है,

फ़तहुल क़दीर में है :

عمم المتاخرون المنع العجائز و الشواب فی الصلوات کلھا لغلبۃ الفساد فی سائر الاوقات

यानि: “फसाद के ग़लबे की वजह से तमाम वक्तों की नमाज़ों में जवान बूढी औरतों का निकलना मुताखिरीन ने माना फ़रमाया है”

फ़िक़्ह का एक क़ायदा भी है की: “ज़माने की तबदीली के सबब एहकाम की तबदीली का इंकार नहीं किया जा सकता”

खुलासा ए कलाम और मेरी राय भी यही है की, हर मर्द पर लाज़िम है की वो ग़ैर के सामने पर्दे के साथ साथ अपनी औरत को चेहरा छिपाने का भी हुक्म दे, और जो ये कुछ निक़ाब होते है जिसमे आँखे खुली होती है, **मेरे नज़दीक इसका पहनना भी नापसंदीदा है, (और ये मेरी जाती राय है)** (बल्कि आँखो सहित पूरा चेहरा ढका होना चाहिए, इसकी एक खास

वजेह है की चेहरा छिपाने का हुक्म इसीलिए है की “**ना रंग दिखे ना उमर**” मगर निकाब मे आखे खुले रहने से औरत की उमर और रंग का अंदाज़ा हो जाता है और ये भी की जवान है या बूढ़ी “**बस ये दिल मे फ़साद पैदा करने के लिए काफ़ी है**” तो चाहिए मुसलमान इज़्ज़त वाले मर्दो और औरतो को की बाज़ारो और ग़ैर मर्द के सामने मुकम्मल पर्दा करे यानी चेहरा भी छिपाए और आँखे भी ढक कर रखे, और घर मे रहते हुए घूँघट करा जा सकता है इसमे दुशवारी नही है, अगर कोई करना चाहै, और मुझे हैरत है दौर रसूल मे तो सहाबिया रात रात भर नमाज़ पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, इस काम को लेकर वो दौर याद क्यूँ नही आता की हम भी रातो को आराम ना करके नमज़े पढ़े ?, दौर याद आया तो चेहरे के खोलने पर?

इस कलाम को पढ़ने के बाद कहेंगे कुछ बेबाक़ लोग की **“पर्दा आँखो का है”** फिर मैं कहूँगा की अगर इस दौर मे लोगो मे हया ज़्यादा आ गई क्या उस पहली सदी मे हयादार नही थे और मुमकिन है फिर कोई बेबक़ बोल बेठे की “**दिल साफ होना चाहिए**” तो मेरा जवाब यही होगा की जब हज़रत आयशा हुज़ूर (عليه السلام) के मज़ार पर हाज़िर होती तो (पर्दे का खास ख्याल ना रखती) फरमाती ये मेरे शोहर है, फिर जब हज़रत अबु बक़र हुज़ूर के क़दमो मे दफ़न हुए तो भी यही हाल था क्यूंकी अब एक शोहर एक वालिद थे मगर जब हज़रत उमर का मज़ार भी वही बना तो खूब ढक कर आने लगीं, क्यूंकी हज़रत उमर ग़ैर मर्द थे, फिर वही बात, क्या हज़रत उमर से ज़ियादा इज़्ज़त वाले इस ज़माने मे आ गये या हज़रत आएशा से ज़्यादा हया वाली आ गई, जो तुम्हारे सिर्फ़ दिल का पर्दा काफ़ी है, कही इसका मतलब ये तो नही है, की आप साबित करना

चाहते हो की आप उन हज़रात से ज़्यादा नेक हो ??? अल्लाह ता'आला से दुआ है की वो इस कलाम मे छिपे असली मक़सद मे क़ामयाबी दे, और मुसलमान औरतो को इसे समझने और दिल से कुबूल करने और अमल करने का जज़्बा दे, ताकि कल चेहरा खुदा के सामने दिखाया जा सके, और घर मे देवर, जेठ कज़िन से भी घूँगट करने की तोफिक़ बख़्शे, और अगर कोई ऐसा करे तो बेशक ज़्यादा सवाब की हक़दारहोगी,

तुम्हारा रब फरमाता है क़ुरआन सुराह: 99 आयत: 7 मे

"तो जो एक ज़र्रा भर भलाई करे उसे देखेगा"

और फरमाता है सुराह: 94 आयात: 5-6 मे

"तो बेशक दुशवारी के साथ आसानी है, बेशक दुशवारी के साथ आसानी है"

والله تعالٰی اعلم بالصواب والله یرجع الیہ ماٰب

सुवाल 2

जनाब क्या औरत आइब्रो बनवाए तो कुछ हर्ज है क्या ये गुनाह है जवाब दें तो सवाब पाए

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

बुखारी की हदीसे- पाक मे ऐसी औरतो पर लानत फरमाई और इसे क़यामत की निशानी मे शुमार फरमाया की आखरी ज़माने मे औरते अपनी भवें के बाल नोचेंगी, फरमाया: (खुलासा ए अहादीस ए मुबारका)

औरत हसीन बनने के लिए भवों के बाल नोचे उस पर अल्लाह की लानत है और गोदने वाली और गुदवाने वालीओ पर भी .. इसी तरह मर्दो

की वाज़ेह बनाने वालीओ पर भी... मुँह के बाल नोचने वालीओ पर (अल्लाह की बनावट मे तब्दीली करती है)

उम्दतुलक़ारी शरह बुखारी मे इस हदीसे पाक की शरह इस तरह ब्यान की (खुलासा) हदीस मे हसीन बनने के लिए लानत आई लिहाज़ा इस क़ैद का लिहाज़ रखा जाएगा, यानी कोई खूबसूरत है और मज़ीद खूबसूरत बनने के लिए भवे बनवाए तो इस हदीस की ज़द मे है, लानत के तहत है.

और अगर किसी औरत के भवे इस क़द्र है की जिससे चेहरा बदनुमा लगता है जिससे रिश्ते मे रुकावट या फ़र्क़ आता हो या रिश्ता टूटने का ख़तरा हो तो इस बदनुमाई से बचने के लिए ज़रूरतन ऐसा करे तो हर्ज नही.. मगर नियत यही हो की बदनुमाई से बचने के लिए नाकी खूबसूरत दिखने के लिए.. और अगर ऐसी कोई बात नही महैज़ शोहर के लिए ऐसा करेगी तो भी गुनहगार होगी, अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म मे किसी की इताात जाइज़ नही और फरमाता है तुम्हारा रब अपने कलाम मे की: रसूल जो दें लेलो, जिससे मना करें, बाज़ रहो.

و اللہ تعالٰی اعلم بالصواب و اللہ یرجع الیہ ماٰب

सुवाल 3

औरते भी इज्तिमा का काम करती है और तक़रीर भी करती है और तक़रीर के बाद सलाम भी पड़ती है मईक मे यह सब करना ठीक है ?

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

इस सुवाल मे 3 अलग अलग सुवाल दर्ज है,

1.- औरते इज्तिमे के काम करती है- अगर ये औरते दीने- मतीन की तब्लीग़ के लिए घर से जाती है और पर्दे की शराइत पर किसी के घर जा

कर औरते जमा होती है, फिर कुछ नात, क़ुरआन, नमाज़ वगेरा सीखती है, और इनके जाने की इजाज़त घर मे शोहर या ग़ैर शादी शुदा को वालिद की तरफ से है तो हर्ज नही, बल्कि सवाब का काम है, की आज कल ज़हालत औरतो मे ज़्यादा पाई जाती है, तो अगर कोई क़ाबिल औरत ये ज़िम्मा उठाए की हफ्ते मे एक या दो दिन, घर के आसपास ही या अपने घर जहाँ शरई तोर पर पर्दा हो और ग़ैर मर्द का दखल ना हो और इल्मे दीन सीखे सिखाए तो अच्छा है, और इल्म सीखना खास कर अपनी ज़रूरत के मसाइल तो हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, मगर औरत 92 K/M से ज़्यादा तन्हा सफ़र नही कर सकती, और इलाक़े मे भी आसपास हो और मगरिब से पहले अपने घर आ जाए, अगर यही मामला है तो इलाक़े वाले सुन्नी मुसलमानो को चाहिए की वो भी अपने घर से बच्चियों को वहा भेजे ताकि वो भी कुछ फ़र्ज़, अदब, पर्दा, नमाज़ वगेरा, सीख सके, वरना घर मे सिवाए टीवी, फिल्म सीरियल के कुछ होता देखा नही जाता, और औरत को ग़ैर मर्द से पढ़ने से बेहतर है की इसी तरह औरतो के इज्तिमे मे भेजा जाए ताकि कुछ हासिल हो, हदीस मे आया की "अगर तेरे ज़रिए से अल्लाह किसी एक शख़्स की भी इस्लाह फरमा दे तो ये तेरे लिए हर उस चीज़ से बेहतर है जिस पर सूरज चमकता है," जबकि ये औरते सुन्नी हो ना की देवबंदी, वरना देवबंदिओ की तालीम मे घर से औरतो को भेजना या जाना हराम है,

2.- औरते तक़रीर करती है- अगर औरत किताब देख कर तक़रीर करती है और अच्छा पढ़ना जानती है और अपनी तरफ से कुछ ग़लत ब्यानी नही करती तो सिर्फ़ उर्दू या हिन्दी पढ़ने वाली औरत को इस तरह देख कर ब्यान करना जाइज़ है, फिर चाहै वो आलिमा ना हो, और अगर वो

(माशा अल्लाह) आलिमा है तो आलिमा को बग़ैर देखे तक़रीर जाइज़ है, और आलिमा नही तो ग़ैर आलिमा को बे देखे वाज़ (ब्यान) हराम है और उसका सुनना भी हराम,

3.- औरते MIC पर सलाम भी पढ़ती है- औरतो का बाद इज्तिमा सलाम पढ़ना जाइज़ है, जबकि आवाज़ ग़ैर तक ना जाए और अगर आवाज़ जाने का ख़तरा हो तो बग़ैर मईक के ही पढ़े, और मईक का हुक्म उपर के सभी सुवाल मे लगाया जाएगा, की औरत ब्यान, सलाम मे मईक जब ही इस्तेमाल करे जब आवाज़ बाहर ना जाए, मसलन, किसी टॉप फ्लोर पर इज्तिमा या सलाम हो रहा है और मईक की आवाज़ उस फ्लेट से बाहर नही आती या उस कमरे से बाहर नही आती तो मईक मे पढ़ने मे हर्ज नही वरना मईक से परहैज़ करना चाहिए.,

واللہ تعالٰی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

सुवाल 4

हज़रत औरते साड़ी जो बाँधती हैं काफ़िर औरतो की तरह क्या वो सही है ?

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

साड़ी पहनने मे हर्ज नही हर्ज साड़ी मे उस वक़्त होगा, जब ग़ैर मर्द के सामने जाएगी की सित्र का पर्दा ना हो सकेगा, या हालत ए नमाज़ मे अगर सित्र दिखाई देता है तो नमाज़ नही होगी, अगर ऐसा कुछ नही सिर्फ़ घर मे अपने शोहर के साथ है तो पह्न सकती है. मगर इसकी आदत ना करे क्यूंकी कभी तो कोई रिश्तेदार मेहमान वग़ैरा घर मे आएगा ही और वही लिबास इख्तियार करना चाहिए जिससे पर्दा-पोशी ज़्यादा हो सके

واللہ تعالٰی اعلم

सुवाल 5
अगर औरते सोने चाँदी के सिवा आर्टिफिशियल-जेवएलरी या कुछ और पहनती है क्या उस पे नमाज़ नही होती है
जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم
सद्र-उसशरीया मुफ़्ती अमजद अली आज़मी फरमाते हैं,
(सोने चाँदी के अलावा) दूसरे धात की अंगूठी पहनना हराम है मसलन, लोहा पीतल, तांबा जस्ता वगेरा, इन धातो की अंगूठिया मर्द वा औरत दोनो के लिए नाजाइज़ है
बहारे शरीअत जिल्द: 3 सफह: 426

फतावा बरेली शरीफ मे है,
लोहा वा तांबा पीतल वा गिल्ट की अंगूठी मर्द औरत दोनो के लिए और सोने की मर्दो के लिए नाजाइज़ वा हराम बाज़ फ़ुक़ुहा ने मकरूह लिखा है लेकिन सही यही है की हराम है इन्हे पहनकर नमाज़ मकरूहहै तहरीमी वाजिब उल ईयादा होगी,
फतावा फैजुर्रसूल जिल्द: 1 सफह: 375 पर है.
तांबा पीतल और लोहै के जेवरात पहन कर पढ़ने से नमाज़ मकरूहहै तहरीमी होगी

दुर्रे मुख़्तार मे है كل صلٰوۃ ادیت مع كراهة التحريم وجب اعادتها
यानी, हर वो नमाज़ जो कराहते तहरीमी के साथ अदा की गई हो उसका लौटाना वाजिब होता है

खुलासा ए कलाम ये है की,
सोना चाँदी के अलावा किसी और धात का ज़ेवर औरत को पहनना जाइज़ नही है, और अगर उसे पहन कर नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वो नमाज़ फिर से पढ़नी होगी,
واللہ سبحٰنہ وتعالٰی اعلم

सुवाल 6
नापाक कपड़ा धोने के बाद क्या गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है ? नापाकी किन किन चीज़ो से होती है, ?
जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم
नापाक कपड़ा धोने के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ नही होता, चाहै धोते वक़्त कपड़े की सारी गंदगी अपने उपर आ जाए तब भी गुस्ल फ़र्ज़ नही होगा, बस उस नजासत को धोना ज़रूरी होगा,
मैं साइल के इस सुवाल से इतना समझ पा रहा हूँ की वो पूछना चाहता है कब आदमी नापाक हो जाता है, कब गुस्ल फ़र्ज़/वाजिब होता है,
5 चीज़े पाई जाए तो इंसान पर गुस्ल वाजिब होता
1. मनी का अपनी जगह से शहवत (सेक्स) के साथ निकलने से गुस्ल वाजिब होता है, मसलन: किसी ने गंदे ख्याल जमा कर अपने ही हाथ से मानी निकाली तो गुस्ल वाजिब है और अगर ये मनी शहवत के साथ झटके के साथ ना निकली बस गंदी चीज़ को देखने से क़तरा या सफेद पानी निकला और उसका निकलना मालूम भी नही हुआ तो वो मनी नही यानी उसपे गुस्ल वाजिब नही.
2. एहतिलाम:- सोते मे मनी का निकलने से गुस्ल वाजिब है, इसमे शर्त है की. कपड़े पर निशान पाया जाए. अगर एहतिलाम होना याद है, या

ख्वाब याद है, मगर कपड़े पर मनी का कोई निशान नही तो गुस्ल वाजिब नही,

3. दुखूल:- कोई मर्द अपने शर्मगाह (पेनिस) को किसी औरत की शर्मगाह (वेजाइना) मे या पीछे दुबार (बूम) मे दाखिल करे या मर्द, मर्द की पीछे दाखिल करे इन सुरतों मे गुस्ल वाजिब दोनो पर है चाहै मनी निकले या नही

4. हैज़- जब औरत हैज़ से फारिग हो जाए तो गुस्ल वाजिब है.

5. निफास- औलाद की विलादत के बाद जो औरत को खून आता है उसे निफास कहते है, उससे फारिग होने के बाद.

मदनी मशवरा:

यक़ीनन हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर इन बातो का सीखना फ़र्ज़ है, मगर बाज़ लोग शर्म से इन चोज़ो को नही सीखते और ना किसी से पूछते है और ना कभी इन बतो को किसी आलिमे दीन की बारगाह मे जा कर सीखते है, खुदा भला करे साइल का की लोगो के लिए ये सुवाल करके आसानी कर दी. अल्लाह ता'आला इसे दोनो जहाँ मे भलाइयाँ आता करे.

"और अल्लाह हक़ फरमाने मे नही शरमाता" (पारा:22, आहज़ब, आयत:53)

والله تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 7

क्या औरते पराए मर्द को सलाम कर सकती हैं ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जब (ग़ैर मेहरम) मर्द औरत मिले तो बेहतर ये है की पहले मर्द सलाम करे, और अगर औरत सलाम कर भी दे तो मर्द को उसका जवाब ज़ोर से देना वाजिब नही बल्कि दिल मे दे सकता है औरत की आवाज़ औरत है चाहिए की ग़ैर मर्द को बिला वजह अपनी आवाज़ ना सुनाये और वजह ये हो सकती है की खास करीबी ग़ैर मेहरम रिश्तेदार हो, और मेहमान बन कर घर आए और सलाम ना करने से औरत को बुरा भला या घमंडी करार दें या दूसरे रिश्तेदार मे गीबत करे की फूला की बीवी या बहू सलाम नही करती तो इस फित्ने को दफ़ा करने के लिए **पर्दे मे रह** कर सलाम किया जा सकता है,

बहारे शरीअत जिल्द:3 सफह: 461 पर है,

मर्द औरत की मुलाक़ात हो तो मर्द, औरत को सलाम करे, और अगर औरत अजनबिया ने मर्द को सलाम कर दिया और बूढ़ी हो तो इस तरह जवाब दे की वो भी सुन ले और जवान हो तो इस तरह जवाब दे की वो ना सुने

والله سبحٰنہ وتعالٰی اعلم

सुवाल 8

क्या हमें कुरआन के सजदे तुरंत करने चाहिए और इसकी नियत कैसे मुकम्मल होगी

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

कुरआनी आयात के सजदे (नमाज़ मे) फोरन करना वाजिब है, मगर नमाज़ के बाहर **फोरन वाजिब नही** और, इसी तरह उस आयत को पढ़ने वाले के साथ साथ सुनने वाले पर भी सजदा करना वाजिब होता है, और ये भी देखा जाता है की कुरआन कोई पढ़ता है और सजदे किसी और से

करवाता है ये भी ग़लत है, यानी क़ुरआन पूरा करके जिससे बख़्शवाते हैं, उसी से सजदे करवाते हैं, ये तरीक़ा सही नही है,

बहारे शरीअत जिल्द: 1 सफह: 733 पर है

"आयते सजदा नमाज़ के बाहर पढ़ी तो फोरन सजदा कर लेना वाजिब नही, हाँ बेहतर है"

और ये ज़रूरी नही की आयत को अरबी मे ही पढ़ा जाए बल्कि उसका तर्जुमा भी पढ़ा या सुना तो भी सजदा वाजिब होता है जैसा की बहारे शरीअत जिल्द: 1 सफा:730 पर है "फ़ारसी या किसी और ज़ुबान मे आयत का तर्जुमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया, चाहै सुनने वाले ने ये समझा हो या ना समझा हो की ये आयते सजदा का तर्जुमा है. अलबत्ता ये ज़रूरी है की उसे नामालूम हो और बता दिया गया हो की ये आयते सजदा का तर्जुमा है,"

सजदे की नियत ये करना ज़रूरी नही की फूला आयत का सजदा कर रहा हूँ, बस दिल मे सजदे की नियत काफ़ी है, दुर्रे मुख़्तार जिल्द:2 सफा: 499 पर है, "इसकी नियत मे ये शर्त नही की फूला आयत का सजदा कर रहा हू, बल्कि मुतलक़ान सजदा ए तिलावत की नियत काफ़ी है,"

आयते सजदा का तरीक़ा ये है की जब सजदे की आयत पढ़े तो फोरन क़ुरआन साइड मे रख कर सजदे कर ले, यानी बैठे बैठे भी हो सकता है, सिर्फ़ सजदा करना काफ़ी है सजदे की तसबीह ना भी पढ़ी तो भी हर्ज़ नही और बेहतर ये है की खड़े हो कर, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे मे जाए और 3 बार सजदे की तसबीह पढ़े, फिर खड़ा हो, ये सुन्नत है जैसा की

फतावा आलमगीरी जिल्द: 1 सफा: 130 पर है,

“सजदे का सुन्नत तरीक़ा यह है की खड़े हो कर “अल्लाहु अकबर” कहता हुए सजदे मे जाए और कम से कम 3 बार (सजदे की तसबीह कहै) फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ा हो जाए, अव्वल आख़िर अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है और खड़े हो कर सजदे मे जाना और फिर खड़े होना मुस्तहब है”

तनवीरुल अबसार जिल्द: 2 सफ़ा: 700 पर है,

सजदा ए तिलावत के लिए अल्लाहु अकबर कहते वक़्त ना हाथ उठाना है ना उसमे तशाहुद है ना सलाम,

وهُو تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 9

क्या फरमाते हें मुफ्तीयाने किराम दर्जे ज़ेल मसअला के बारे मे की क्या कोई शौहर और बीवी एक जमा’अत के साथ अपने घर मे नमाज़ पढ़ सकते हैं ? (بیّنوا توجروا) (ब्यान फरमाये अजर दिए जयोगे)

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

हर ज़ी-अक़्ल औरत को ये मेरा रोशन ब्यान है,

ता-उम्र उसके हक़ मे उसका शोहर ही इमाम है

हर ज़ी-अक़्ल मर्द पर ये दलील मेरी क़ावी है,

हर औरत उसके हक़ मे ता-उमर मुक़्तदी है

‘हमेशा से सभी तारीफ उसी अज़मत वाले अल्लाह की जिसने मर्द को अपनी बीवी के हक़ मे इमाम किया सरदार बनाया और औरत को उसी की पेरवी का हुक्म दिया और शोहर के लिए राहते-रूह ओ क़ल्बों-जिगर, यानी ता उमर इसकी हमसफ़र, से आलमे शोहर को ज़ीनत बख़्शी, और

हर लम्हा दुरूद उस हबीब पर जिसने 11 को अपना खास मुक़्तदी किया और हश्र मे तो वही सबका इमाम होगा, और सलाम अहले बैत और शहीद ए करबला और ज़ख़्मी ए करबला पर.

मर्द को इलाक़े की मस्जिद मे फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत से पढ़ना वाजिब है, और किसी शरई उजर के साथ अगर जमाअत तर्क हो गई तो घर पर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकता है, **और मेहरम और बीवी के साथ जमाअत भी का'इम करके पढ़ने मे भी हर्ज नही**, और इमाम बनने वाले में इमामत की शराइत पाई जाती हो, मसलन कम से कम इतनी क़िराअत जानता हो की नमाज़ फ़ासिद ना कर दे, और खुद ऐलानिया फासिक ना हो, और तहारत और नमाज़ के मसाइल से भी वाक़िफ़ हो तो जमाअत से बीवी के साथ बल्कि हर मेहरम यानी बहैन, मां वग़ैरा के साथ भी नमाज़, को घर मे बा-जमाअत अदा कर सकता है, जैसा की आलाहज़रत इमाम अहले सुन्नत, अज़ीम उल बरकत, अज़ीम उल मर्तबत
मुजद्दिदे दीन ओ मिल्लत, परवाना ए शमा ए रिसालत, इमाम ए इश्क़ ओ मुहब्बत, वली ए नेमत, पीर ए तरीक़त, आलिम ए शरीअत, हामिये सुन्नत
माहिए बिदअत, का'ताए नज़दियत, बाइस ए खैर ओ बरकत, अल-हाज, अल-हाफ़िज़, अल-मुफ़्ती, असशाह इमाम अहमद रज़ा (अलैहीररेहमा) अपनी मक़बूल ए दो जहाँ, तस्नीफ, फतावा रज़विया जिल्द:6 सफह:492 पर है
पर इरशाद फरमाते हैं
"और अगर जमाअत मे जितनी औरतें उसकी मेहरम या बीवी या हद्दे शहवत तक ना पहुँची लड़कियों के सिवा (कोई) नही तो (जमाअत से

नमाज़ पढ़ना) बिला कराहत जाइज़ है, और ना-मेहरम (शहवत को पहुंची हुई) हो तो मकरूह बहरहाल”

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह: 584 पर है

“जिस घर मे औरतें ही औरतें हो उस घर मे मर्द को उनकी इमामत नाजाइज़, हाँ, अगर उन औरतों में, उसकी नसबी महारीम हो, या बीवी... (तो जमाअत से नमाज़ जाइज़ है)

मगर इस सूरत मे जब की इमाम मर्द हो और औरत मुक़्तदी तो औरत यानी बीवी मर्द के पीछे खड़ी होगी ना की बराबर मे, की औरत का मर्द के बराबर खड़े होने से नमाज़ मकरूह होगी और इस तरह खड़े होना नाजाइज़ होगा,

फतावा क़ाज़ी-ख़ान जिल्द:1 सफह:48 पर है,

المرأة اذاصلت مع زوجها فی البیت ان کان قدماها بحذاء قدم الزوج لاتجوز صلاتهما بالجماعة وان کان قدماهاخلف قدم الزوج الا انها طویلة تقع رأس المرأة فی السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لان العبرة للقدم

यानी:-किसी औरत ने जब अपने शोहर के साथ घर मे नमाज़ अदा की हो, अगर उसके क़दम शोहर के क़दम के मुक़ाबिल हों, तो दोनो की नमाज़ बा-जमाअत जाइज़ ना होगी, और अगर उस (बीवी) का क़दम शोहर के क़दम के पीछे, है (या औरत का क़दम लंबा होने की वजेह से औरत का सर हालत ए सजदा मे शोहर के सर से आगे होता हो) फिर भी दोनो की नमाज़ दुरुस्त होगी, क्यूंकी ऐतबार क़दम का है,”

फतावा अलामगीरी जिल्द:1 सफह:88 पर है,

“अगर अकेली औरत मुक़्तदी है तो पीछे खड़ी हो, और ज़्यादा औरतें हो जब भी यही हुक्म है”

फतावा रज़विया जिल्द:6 सफह:492 पर है,

“अगर औरत इस क़दर पीछे खड़ी है की उसका क़दम मर्द के क़दम या किसी
उज़्व के मुहाज़ी नही तो (बीवी अपने शोहर के पीछे नमाज़ मे) इक़्तिदा सही है, और दोनो की नमाज़ हो जाएगी,
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सुवाल 10

हज़रत जिनकी कोई औलाद ना हो तो क्या शरीअत उसे बच्चा गोद लेने की इजाज़त देती है ? अगर हाँ तो इसके बारे मे जवाब हवाले के साथ देने की मेहरबानी करे.

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

हर औलाद वालिद के हक़ मे इक नायाब हीरा है,

बाप का नाम बदलना ही तो गुनाहै कबीरा है

बच्चा गोद लेने की इजाज़त है, मगर लोग उसके असली बाप की जगह अपना नाम लिखते है इसकी इजाज़त नही मसलन, अगर आपने किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद लिया तो उसके सभी डॉक्युमेंट्स पर यहाँ तक की शादी कार्ड पर भी, उसके ही असली बाप का नाम होगा, उसका नही जिसने गोद लिया, हदीस मे बाप, ज़ात, खानदान बिरादरी बदलने वाले पर लानत आई है, और एक शख्स की औलाद को दूसरे की तरफ मंसूब करके पुकारने से मना किया है, इसी तरह दूसरे की औलाद को अपनी तरफ मंसूब नही किया जा सकता

कु़रआने पाक मे अल्लाह का इरशाद है: सुरेः अहज़ाब आयत 4-5

“और ना तुम्हारे ले-पालको को तुम्हारा बेटा बनाया, ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना है, और अल्लाह हक़ फरमाता है और वही राह दिखाता है, उन्हे उनके बाप ही का कह कर पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ठीक है, फिर अगर तुम्हे उनके बाप मालूम ना हो तो दीन मे तुम्हारे भाई हैं,"

आलाहज़रत इमाम ए अहले सुन्नत फतावा रज़विया जिल्द:13 सफह: 361 पर लिखते हैं,

हदीस मे फरमाया: من ادعی الی غیرابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملٰئکۃ والناس اجمعین لایقبل اللہ منہ یوم القیٰمۃ صرفا ولاعدلا

जो अपने बाप के सिवा दूसरे की तरफ अपने आप को निसबत करे, इस पर खुद अल्लाह और सब फिरिश्ते और आदमियों की लानत, अल्लाह ता’ला कल क़ियामत के दिन इसका ना फ़र्ज़ क़ुबूल करे ना नफ़िल,

अलबत्ता सरपरस्त की जगह गोद लेने वाला अपना नाम लिखवा सकता है पर बाप की जगह नही.

और एक खास बात इस मसले मे ये भी है की, अगर किसी ने बाहर (ग़ैर रिश्तेदार) से कोई लड़का गोद लिया और उसे अपनी बीवी से दूध नही पिलवाया तो बालिग़ होने पर खुद इसकी बीवी यानी मुँह बोली माँ और इसकी बेटिओं से भी इसका पर्दा वाजिब होगा, इसी तरह लड़की गोद लेने पर खुद इसका यानी मुँह बोले बाप और इसके बेटो से पर्दा, अगर भाई के बेटे को गोद लिया और दूध ना पिलवाया तो भी यही हुक्म है, और अगर इसकी बीवी के अब दूध नही आता तो इसके बहैन से पिलवाए, यानी साली से वरना अपनी बहैन से, मगर इन सुरतो मे इन दोनो के पर्दो मे तो रिआयत होगी मगर इसकी औलाद के लिए अब भी वही हुक्म होगा की पर्दा वाजिब होगा, और सबसे बेहतर ये है, की अपनी ही बीवी से दूध

पिलवाए ताकि, इनके बच्चो से भी पर्दे मे रिआयत मिले, वरना इस तरह मुँह बोले रिश्तो मे ये शख्स हमेशा गुनहगार होता रहैगा,
وھُو تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 11.
क्या नमाज़ मे क़िराअत के अल्फ़ाज़ सही मखरज़ से अदा ना हुए तो क्या नमाज़ ना हुई? वजाहत फरमाये
जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم
क़िराअत ग़लत होने की कई सूरते है, कुछ मे नमाज़ टूट जाएगी, जबकि मायने फ़ासिद हो और बाज़ सुरतों मे नमाज़ हो जाती है, जैसा खता फिल एराब (एराब की ग़लती) इससे नमाज़ हो जाती है इसी पर फतवा है.
वरना किस सूरत मे क्या ग़लती हुई वो ब्यान की जाए,
फतावा रज़विया जिल्द:6 सफह:248 पर है,
एराब मे ग़लती (यानी: हरकत, सुकून, तशदीद, तखफीफ, क़सरा मद) की ग़लती मे उलमा ए मुताख़िरीन का फतवा तो ये है की, अलल-इत्तिलाक़ इससे नमाज़ नही जाती,
فی الدرالمختار وزلۃ القاری لو فی اعراب لا تفسد وان غیر المعنی بہ یفتی
दूर्रे मुख़्तार मे है, क़िराअत करने वाले की ग़लती अगर एराब मे हो तो नमाज़ फ़ासिद नही होगी अगरचे उसके मअना बदल जाएँ, इस पर फतवा है”
फतावा अलामगीरी मे है
“वक्फ़ वा वस्ल की ग़लती कोई चीज़ नही, यहाँ तक की अगर वक़्फ़ लाज़िम पर ना ठहरा, बुरा किया मगर नमाज़ ना गई”
बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:554 पर है

“एराबी ग़लतियाँ अगर ऐसी हें जिससे मा’ने ना बिगड़ते हो तो मुफ्सिद नही”

अगर ऐसी ख़ता की, की जिससे मा’ना बदल जाए, तो ज़रूर नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, और बाज़ सुरतों मे जबकि मा’ना जानता है, और फिर भी बदल दिया तो काफ़िर भी होगा,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:554 पर है,

“अगर ऐसी ग़लती हुई जिससे मा’ने बिगड़ गये तो नमाज़ फ़ासिद होगी”

और लफ़ज़ो को बदल देने का ये मतलब होता है की, अगर कोई लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ से बदल दिया, और मा’ना फ़ासिद ना हो तो नमाज़ हो जाएगी, वरना नही, और करिबुस-सौत अल्फ़ाज़ (एक जैसी आवाज़ वाले) हुरूफ़ो का भी सही तोर पर इम्तियाज़ रखे वरना मा’ना फ़ासिद होने की सूरत मे नमाज़ जाती रहैगी

(ت-ط -, س-ث -ص , ھ-ح -,... वगेरा हुरूफ़ मे इम्तियाज़ चाहिए,)

दूर्रे मुख़्तार जिल्द:1 सफह:431 पर है

من لا یقدر علی التلفظ بحرف من الحروف کالرھمٰن الرھیم والشیتان الرجیم والاٰلمین وایاک نابد و ایاک نستئین السرات،انأمت فکل ذلک حکمہ مامر من بذل الجھد دائما والا فلاتصح الصلوٰۃ بہ

यानी: जो शख्स हुरूफ़ ए तहैज़्जी मे से किसी हुरूफ़ के सही तलफ़फुज़ पर क़ादिर ना हो, मसलन...الرحمن الرحیم की जगह.. الرھمٰن الرھیم... الشیطان की जगह ..الشیتان .. العالمین की जगह.. الآلمین.. और ایاک نعبد.. की जगह..ایاک نابد ... نستعین की जगह..نستئین ..الصراط की जगह السرات.. انعمت की जगह.. انأمت पढ़ता है तो इन तमाम सुरतो मे अगर कोई

हमेशा दुरुस्त अदायगी की कोशिश के बावजूद ऐसा करता है तो नमाज़ दुरुस्त होगी, वरना नमाज़ दुरुस्त ना होगी,

और सीखने पर जान लड़ा कर कोशिश ना की इसकी खुद की नमाज़ नही होगी,

फतावा रज़वीय्या जिल्द:6 सफह:262 पर है,

“अहम् चीज़ो मे से तजवीद ए क़ुरआन सीखना भी है... क़ुर्रा क़िराअत का सिलसिला भी हुज़ूर तक पहुचता है, और उलमा ने तजवीद के बग़ैर क़ुरआन पढ़ने को ग़लत पढ़ना क़रार दिया,

फतावा बाज़्ज़रिया मैं है, ان اللحن حرام بلاخلاف (ग़लत पढ़ना बिला-इज़्मा हराम है)

واللہ سبحانہ وتعالٰی أعلمُ بالصواب

सुवाल 12.

ड्यूरिंग प्रेग्नेन्सी, बच्चे मे कितने दिनो के बाद जान आ जाती है, प्लीज़ रिप्लाइ मी अकॉरडिंग टू क़ुरआन रेफ़्रेंस

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحيم

क़ुरआने पाक मे तुम्हे पैदा करने वाला अल्लाह फरमाता है, (सुराह हज्ज, आयत: 05)

“हमने तुम्हे पैदा किया मिट्टी से और पानी की बूँद (मनी) से, फिर खून की फटक से फिर गोश्त की बोटी से, नक़्शा बनी और बे-बनी, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ ज़ाहिर फरमाएँ, और हम ठहराए रखते हैं, माओ (मदर्स) के पेट मे जिसे चाहै, एक मुक़र्रर वक़्त तक”

तफ़सीर ए क़ुरतबी जिल्द:6 सफह: 338-339 पर है

"हज़रत इब्ने उमर (रदियल्लाह अन्हु) से रिवायत है की,

नुतफा (मनी का क़तरा) जब औरत के पेट मे क़रार पाता है तो एक फिरिश्ता उसे अपनी हथेली पर लेता है, और अर्ज़ करता है या रब, मुज़क्कर या मुअन्नस (मेल या फीमेल), शक़ि या सा'आदत मंद (बदनसीब या खुश -नसीब), इसकी मुद्दत(उमर) और अस्र क्या है, किस ज़मीन मे मरेगा, उस फिरिश्ते से कहा जाता है, तू लोह ए महफ़ूज़ की तरफ जा वहाँ तुझे इसका क़िस्सा मिल जाएगा, वह फिरिश्ता ऐसा ही करता है और उसका क़िस्सा पा लेता है, फिर वह क़तरा इंसान बन जाता है, अपनी तक़दीर मे लिखा रिज़क़ ख़ाता है,

इमाम अहमद बिन हंबल ने सही रिवायत से मुसनद अहमद हदीस 12157 पर नक़्ल किया

"जब नुतफे पर 42 राते गुज़रती है, तो अल्लाह उसकी तरफ एक फिरिश्ता भेजता है, जो उसकी सूरत बनाता है, उसके कान उसकी आँखें उसकी ज़िल्द उसकी हड्डियाँ"

अब्दुल्लाह बिन मस'ऊद से मरवी है फरमाया हुज़ूर ने

"तुम मे से हर एक की पैदाइश उसकी माँ के पेट मे 40 दिन के मरहले से होती है, फिर 40 दिन वह खून की हैसियत से रहता है, फिर 40 दिन गोश्त के लोथड़े की शकल मे रहता है, फिर एक फिरिश्ता उसमे रूह डालता है, उसे 4 चीज़े लिखने का हुक्म दिया जाता है, रिज़क़, उमर, अमल, शक़ि या सा'आदत मंदी,

हदीस बुखारी और मुस्लिम मे ये रिवायत नक़्ल है-

“तुम लोगो की पैदाइश माँ के पेट मे 40 दिन तक नुतफे की सूरत मे रहती है, फिर 40 दिन तक जमे हुए खून की सूरत मे, फिर 40 दिन गोश्त की बोटी की तरह, (यानी करीब 4 माह कुछ दिन)
फिर अल्लाह एक फिरिश्ता भेजता है, जो उसका रिज़्क़, उसकी उमर, उसका अमल, और उसका बद-बख़्त और स'आदत मंद होना लिखता है,”
उलमा का इसमे कोई इकतिलाफ नही की रूह 120 दिन के बाद फूँकी जाती है, ये 4 महीने मुक़ाम्मल हो जाते है और 5वे का अगाज़ होता है, जैसा की हमने हदीस के ज़रिए ब्यान किया (और यही इद्दत का वक़्त (होता है
واللہ تعالٰی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

सुवाल 13.
हज़रत औरतो को कब नमाज़ अदा करनी चाहिए जैसे फज्र की अज़ान हुई और अज़ान के बाद ही नमाज़ शुरू कर दी, मतलब औरतो को क्या मर्दो के टाइम पर ही पढ़ना चाहिए, ?
जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم
जब जिस नमाज़ का वक़्त हो जाए नमाज़ पढ़ लेने से नमाज़ अदा हो जाएगी क्यूंकी औरतो पर जमाअत से नमाज़ पढ़ना वाजिब नही इसलिए वो अज़ान होते ही, या अज़ान ना भी हो वक़्त होते ही नमाज़ पढ़े तो भी कोई हर्ज़ नही और नमाज़ सही अदा होगी, अब रहा बेहतर क्या है, तो बेहतर ये है की औरत (अपने इलाक़े की मस्जिद की) मर्दो की जमाअत ख़तम होने के बाद नमाज़ पढ़े, मगर मगरिब फ़ौरन पढ़े इसमे देर ना करे, और फज्र अंधेरे मे ना पढ़े कुछ उजाला होने दे, जैसा की फज्र के बारे मे हदीसे- पाक मे फरमाया गया और इसे तिरमिज़ी ने नक़्ल किया

“फज्र की नमाज़ उजाले मे पढ़ो की इसमे बहुत अज़ीम सवाब है” और हदीस कंज़ुल उम्माल ने हज़रत अनस से रिवायत किया की “इससे तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी”
और तबरानी ने अबु हुरैरा से नक़ल किया की
“मेरी उम्मत हक़ पर रहैगी, जब तक फज्र उजाले मे पढ़े”

इन हदीसो से यही साबित होता है की फज्र अंधेरे मे नही पढ़ना चाहिए, (मगर पढ़ी तो गुनाह नही, नमाज़ हो जाएगी) इसलिए फज्र की अज़ान के बाद जमाअत मे काफ़ी वक़्त होता है, उसकी अस्ल यही हदीसे हैं, और क्यूंकी रमज़ान मे सेहरी के बाद सो जाने का ख़ौफ़ है इसलिए जल्दी पढ़ी जाती है,
औरतो को क्यूंकी जमाअत वाजिब नही इसलिए इन्हे ज़ोहर मे देर करके पढ़ना चाहिए, हदीस बुखारी और मुस्लिम मे फरमाया:
“ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो की सख़्त गर्मी जहन्नम के जोश से है”

इस हदीस की रोशनी मे पता चला की ज़ोहर मे देर करके पढ़ना मुस्तहब है,
और मगरिब मे देर नही करनी चाहिए फ़ौरन पढ़नी चाहिए हदीस मे फरमाया इसे अबु दावूद ने नक़ल किया “मेरी उम्मत हमेशा हक़ पर रहैगी, जब तक मगरिब मे इतनी देर ना करे की सितारे गुथ जाए”

इसलिए आपने देखा होगा की मगरिब की नमाज़ फ़ौरन अज़ान के बाद ही हो जाती है, उसकी अस्ल ये हदीस है,

फ़ज़ले खुदा से नमाज़ का सही वक़्त और वज़ुहात को अहादीस की रोशनी मे ब्यान कर दिया,

और खुलासा ए कलाम ये है की,

औरत वक़्त होने पर नमाज़ पढ़े तो गुनाह नही नमाज़ हो जाएगी, मगर मुस्तहब है की मर्दो की जमाअत होने दे, और फज्र, मे अगर जमाअत होने देने से वक़्त जाता हो तो पहले भी शुरू कर सकती है, और मगरिब मे फ़ौरन अज़ान बाद ही शुरू करे,

والله تعالىٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 14.

औरत की नस बंदी कराना कैसा है, क्या copper-T लगवा सकते है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

नसबंदी चाहै औरत की हो या मर्द की करना और करवाना हराम है, गुनाहै कबीरा है, और हदीसे- पाक से इसकी मुमानियत साबित है, अगर ये दोनो किसी बच्चे की विलादत नही चाहते तो, आरज़ी तरीक़े इस्तेमाल करने चाहिए, (कॉडम या दवा) ताकि आगे उम्मीद के दरवाज़े खुले रहै, और नसबंदी करवाना यानी हमेशा के लिए औलाद की उम्मीद से महरूम रह जाना है, फतावा फ़ैज़रुरसूल जिल्द:02 सफह:580 पर है

“दवा या रबर की थैली (कॉडम) इस्तेमाल करना जाइज़ है, लेकिन किसी अमल से हमेशा के लिए बच्चा पैदा करने की सलाहियत को ख़तम कर देना जाइज़ नही,

मान लीजिए अगर किसी के 4 बच्चे है, अब ये सोचते है, की इन्हे आगे बच्चो की ज़रूरत नही, और ये नसबंदी करवा ले, खुदा ना करे, **किसी हादसे या बीमारी मे सारे बच्चे मर गये तो?** अब क्या करेगा, और औरत

को बच्चो की ख्वाइश हुई तो ? या मर्द ने नसबंदी करवाई, और बीवी मर गई अब दूसरा निकाह करना चाहै **और दूसरी औरत औलाद माँगे तो क्या करेगा?** या औरत की नसबंदी करवा दी, और शोहर मर गया, या दोनो की तलाक़ हो गई, और **औरत या शोहर दूसरा निकाह करना चाहै तो क्या करेगी**, क्यूंकी इन्होने तो वो रास्ता अपनाया जिसमे आगे उम्मीद के सारे दरवाज़े बंद हें, इससे घर बिगड़ने की नौबत आएगी, और ज़िंदगी भर अपनी औलाद से महरूमी, हाँ अगर ये दोनो कोई आरज़ी तरीक़ा यानी (कॉडम, मेडिसीयन,) का इस्तेमाल करे तो बेहतर है, की इससे मक़सद वही हासिल होगा और आगे कोई ऊँच नीच होती है, तो घर नही बिगड़ेगा, उम्मीद है, आप मेरी बात समझ गये होगे, की दूसरी चीज़े इस्तेमाल की जाएँ, नसबंदी के अलावा बाकी दूसरे समान जाइज़ है, (जबकि दोनो की रिज़ामंदी हो)

“**कॉपर**-T” यानी एक ऐसा आला होता है, जो औरत के जिस्म मे इस्तेमाल होता है, इससे एक खास मुद्दत के लिए औलाद की पैदाइश रुक जाती है, फिर इसे निकाल देने पर औलाद की पैदाइश हो सकती है, इससे भी मक़सद पूरा होता है, और आगे औलाद की चाहत हो तो आदमी मजबूर नही होता, मगर इसके बारे मे मुझे किताब ए फिक़ मे कोई इबारत ना मिली, क़ुरआन ओ हदीस की रोशनी मे बाज़ाहिर मुझे इसका इस्तेमाल जाइज़ नज़र आ रहा है, जिस तरह कॉन्डोम का इस्तेमाल जाइज़ है, यानी अगर आदमी 3 साल तक लगातार कॉन्डोम इस्तेमाल करे तो भी औलाद नही होती, **कॉपर-**T मे भी ये है की एक बार ही इस्तेमाल होगी, जब उलमा ने कॉन्डोम के जाइज़ होने का ब्यान किया

तो इस क़ियास पर कॉपर-T भी जाइज़ है, (जबकि दोनो की रिज़ामंदी हो) जैसा की फतावा फ़ैज़रुरसूल जिल्द:02 सफह:580 पर है

"दवा या रबर की थेलि (कॉडम) इस्तेमाल करना जाइज़ है

मगर फिर भी सित्रे औरत का ख्याल और अहकाम अपनी जगह क़ायम रहेंगे.

والله تعالیٰ أعلمُ بالصـواب

सुवाल 15

हज़रत अक़ीक़े का गोश्त (मीट) बच्चे के माँ बाप को खाना जायेज़ है या नही ? जवाब का तलबगार हूँ

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर माँ बाप का रोज़ा नही हो तो खाना बिल्कुल जाइज़ है, और रोज़ा हो तो वक़्त मगरिब भी खाना जाइज़ है, ये लोगो की कम इलमी की बाते हैं, इसका शरीअत मे कोई सबूत नही, ये अपनी अक़्लो से बनाई गईं, बातें हैं,

बहारे शरीअत जिल्द:3 सफह:357 पर है

"अवाम मे ये बहुत मश'हूर है की अक़ीक़े के गोश्त बच्चे के माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी ना खाएँ, ये महैज़ ग़लत है और इसका कोई सबूत नही"

वक़ारूल फतावा जिल्द:1 सफा: 343 पर है

"अहकामे शरीअत को क़ुरआन ओ हदीस से मालूम किया जाता है अक़ल से नही जाना जा सकता"

والله تعالٰی اعلم بالصواب والله يرجع اليہ مآب

सुवाल 16

नाहिदा (मुस्लिम लेडी) ने ज़ैद (मुस्लिम जेंट्स) को रक्षा बंधन की मुबारक बाद दी और अमर (काफिरा लेडी) ने ज़ैद को रक्षा बंधन की मुबारक बाद दी अब ज़ैद और नाहिदा पर क्या शरई हुक्म लगेगा? राखी बांधना या बंधवाना कैसा है?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

काफ़िर के "**कॉमी शिआर**" इख्तियार करना **हराम** होता है काफ़िर के "**मज़हबी शिआर**" को इख्तियार करना **कुफ्र** होता है,

रक्षा बंधन काफिरो का कॉमी त्योहार है, मज़हबी त्योहार नही, किसी भी काफ़िर का कॉमी शिआर इख्तियार करना हराम गुनाह है जैसे होली खेलना, जो चीज़ उनके मज़हब मे इबादत मानी जाती है **वो कुफ्र** है, जिस मुसलमान औरत ने मर्द को राखी बाँधी और जिस मर्द ने मुसलमान और ग़ैर मुसलमान औरत से राखी बँधवाई, ये दोनो यानी नाहिदा, ज़ैद फासिक, फाजिर, सख़्त गुनहगार, अज़ाब के हक़दार है, लेकिन काफ़िर नही क्यूंकी राखी बांधना (ग़ैर मुस्लिम) का **कॉमी त्योहार** है, मज़हबी नही

हज़रत शारेह बुखारी, फक़िह ए आज़म ए हिंद, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शरीफ उल हक़ अमज़दी साहिब फतावा शारेह बुखारी जिल्द: 2 सफह: 568 पर लिखते है

जिन मुसलमान औरतो ने हिन्दुओ को ये डोरा बांधा, जिन मुसलमान मर्दो ने हिंदू औरतों से ये डोरा बँधवाया सब फासिक, फाजिर, गुनहगार, अज़ाब के हक़दार है, लेकिन काफ़िर नही, इसलिए की राखी बंधन पूजा नही उनका **कॉमी त्योहार** है,

काफ़िर के मज़हब की मुबारकबाद देना अशद हराम, और मुश्रीकाना फैल पर राज़ी और खुश हुआ या ताज़ीमन शामिल हो कर मुबारक बाद दी तो खुद भी काफ़िर ऐसे शख़्स पर तज्दीदे ईमान और अगर बीवी वाला था तो निकाह लाज़िम

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ ماٰب

सुवाल 17

हज़रत आज कल कुछ लड़कियाँ चूड़ीदार पयज़ामा पहनती है, और लोग एतराज़ करते है, मना करते है, मगर लड़के भी तो (खास कर) सारे दूलह अपनी शादियो मे शेरवानी के साथ चूड़ीदार पहनते है, तो औरत को मना क्यूँ मर्द को जाइज़ क्यूँ, कुछ वज़ाहत फरमाये तो करम होगा, और क्या जीन्स मे नमाज़ जाइज़ है अल्लाह आपकी उमर मे बरकत दे, मज़ीद इल्म से नवाज़े,

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

आपने बहुत हिम्मत का काम किया की मुसलमान लड़कियों के लिए ये सुवाल पूछा ताकि उन्हे भी इब्रत हो.

किस लिबास मे नमाज़ होगी किस मे नही होगी, इसका एक आसान क़ायदा (नियम) ये है की, **जो लिबास पहनना जाइज़ नही, उसमे नमाज़ जाइज़ नही**, मसलन, चोरी का लिबास पहनना जाइज़ नही, चाहै कोई भी कपड़ा हो, तो उस चोरी के कपड़े मे नमाज़ जाइज़ नही, इसी तरह जब **औरत को मर्दाना लिबास पहनना जाइज़ नही बल्कि हराम है**, तो उसमे औरत की नमाज़ भी जाइज़ नही **बल्कि मकरूह तहरीमी है,** यानी इस तरह उस औरत ने ज़िंदगी मे जितनी भी नमाज़ पढ़ी वो सब फिर से **दोहराना वाजिब है,** और इस हराम काम (मर्दाना लिबास पहनने) पर

अल्लाह की **बरगाह मे सच्ची तोबा करना वाजिब है,** अब अगर फिर भी कोई लड़की ये जानने के बाद भी जीन्स मे नमाज़ पढ़े और दलील ये दे की, अल्लाह क़ुबूल करेगा तो वो जाहिल है, क़ुरआन हदीस और अल्लाह रसूल के फरमान के खिलाफ काम कर के क़ुबूलियत ए नमाज़ की उम्मीद रखती है,

अल्लाह के सच्चे रसूल मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया और इस हदीस को अबु दावूद जिल्द:4 सफह:88 पर **हज़रत अबु हुरैरा** से रिवायत किया -

"हुज़ूर ने उन मर्दो पर लानत की जो औरत का लिबास पहनते हैं, और उन औरत पर लानत की जो मर्दाना लिबास पहनती हैं, और एक हदीस मे है:- مَنْ تَشَبَّہَ بِقَوْمٍ فَھُوَمِنْھُمْ

(जो शख्स जिस क़ौम से मुशाबिहत करे वो उन्ही मे से है,) और हदीस के मुताबिक ऐसी औरत जन्नत से महरूम है, जो मर्दाना लिबास, हैरकट, या जूते पहने, (हर ऐसी औरत के लिए ये सोचने का मुक़ाम है की नमाज़ के बाद भी उसके लिए जन्नत नही)

मीरात शरह मिश्कात जिल्द:6 सफह:95

"काफ़िर हराम हलाल लिबास मे, इसी तरह मर्दाना ज़नाना लिबास मे फ़र्क़ नही करते, जैसे कपड़ा चाहते है पहन लेते है"

(इस तहरीर से भी मुसलमान लड़कियों के लिए लम्हा ए फ़िक़्र है की, मुसलमान हो कर काफ़िर का तरीका इस्तेमाल करती है की हराम हलाल मे फ़र्क़ नही करती, जबकि शरीअत ने हराम हलाल मे वाज़ेह फ़र्क़ ब्यान कर दिया)

फतावा रज़विया जिल्द:23 सफह:102 पर है

“नाजाइज़ लिबास के साथ नमाज़ मकरूह तहरीमी होती है, उसका (नमाज़ का) ईयादा (लौटाना) वाजिब है”

हदीस मे ये भी फरमाया की - (**जहन्नम मे जो औरते होंगी उनमे**, **वो भी होंगी जो पह्न कर नंगी होंगी**), इस “**पह्न कर नंगी**” होने की एक शरह ये भी ब्यान की जाती है की “लिबास ऐसा चुस्त होगा की जिस्म की गोलाई वा रान और पिंडलियो की बनावट सॉफ ज़ाहिर हो रही होगी, **लेगिस** एक क़िस्म का ऐसा चुस्त लिबास है की जिसमे जिस्म की बनावट साफ ज़ाहिर होती है, और बाज़ लेगिस ऐसी भी होती है उसमे रंगत नज़र आती है, अगर लेगिस ऐसी है की उसमे चुस्त होने के साथ टांगों की रंगत नज़र आए तो फिर उसमे नमाज़ नही होगी, और अगर रंगत नही दिखाई देती तो **इस सूरत मे नमाज़ हो जाएगी**, मगर ऐसा लिबास पह्न कर औरत का ग़ैर मर्द के सामने जाना मना होगा, और अगर घर मे रहती है या औरतो मे पहनने मे भी हर्ज़ नही, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:480 पर है

“(चुस्त कपड़ा) जिससे बदन का रंग ना चमकता हो, मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हो, की देखने से उज़्व की हैयत (जिस्म की बनावट) मालूम होती है, ऐसे कपड़े से नमाज़ हो जाएगी, मगर उस हिस्से की तरफ दूसरो को निगाह करना जाइज़ नही”

अब चाहै जीन्स हो, शर्ट हो या टी-शर्ट या रंगत नज़र आने वाली लेगिस, औरत को ये लिबास पहना भी माना और इसमे नमाज़ भी नही

दुर्रे मुख़्तार मे है كل صلٰوة اديت مع كراهة التحريم وجب اعادتها

यानी, हर वो नमाज़ जो कराहते तहमीरी के साथ अदा की गई हो उसका लौटाना वाजिब होता है

इस क़द्र चुस्त और तंग कपड़ा पहैनना नाजाइज़ और गुनाह है जिससे जिस्म की बनावट नज़र आए इसी तरह ऐसा जिससे जिस्म की रंगत नज़र आए हराम है, और आपसे जिसने ये कहा की चूड़ीदार औरत को गुनाह मर्द को जाइज़ ये बात भी ग़लत है, चूड़ीदार पयज़ामा मर्द को पहैनना भी गुनाह है, फिर चाहै शेरवानी के साथ हो या दूलह पहने

आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फतावा रज़वीय्या जिल्द: 22 पेज: 162 पर लिखते है,

“यूँही तंग पेयजमा भी ना चूड़ीदार हो ना (मर्द को) तख़नो से नीचे, ना चुस्त बदन से सिले, की ये वाज़ेह फुससाक़ है, और सित्र ए औरत का ऐसा चुस्त होना की आज़ा का पूरा अंदाज़ बनाए. ये भी एक तरह की बे-सित्रि है,

चूड़ीदार पयज़ामा पहनने के बारे मे आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा फतावा रज़वीय्या जिल्द: 22 पेज: 172 पर लिखते है,

“चूड़ीदार पयज़ामा पहनना मना है की वाज़ेह फुससाक़ की है, शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस ए दहैलवी किताब अदब अल लिबास मे फरमाते हैं:

سراویل کہ در عجم متعارف است کہ اگر زیر شتالنگ باشد یا دوسہ چین واقع شود بدعت وگناہ است

(शलवार जो अजमि इलाक़ो मे मश’हूर वा मारूफ़ है अगर तख़नो से नीचे हो या दो तीन इंच (शिकन/चूरी/बाल) नीचे हो तो बिदअत और गुनाह है,)

واللہ تعالٰی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

सुवाल 18

मेरा सवाल है की लॅडीस जो लेगिस या चूड़ीदार पहन कर नमाज़ पड़ती हैं क्या नमाज़ हो जाएगी या उन्हे नमाज़ दोहरानी होगी

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

लेगिस एक क़िस्म का ऐसा चुस्त लिबास है की जिसमे जिस्म की बनावट साफ ज़ाहिर होती है, और बाज़ लेगिस ऐसी भी होती है उसमे रंगत नज़र आती है, अगर लेगिस ऐसी है की उसमे चुस्त होने के साथ टांगों की रंगत नज़र आए तो, फिर उसमे नमाज़ नही होगी, और अगर रंगत नही दिखाई देती तो **इस सूरत मे नमाज़ हो जाएगी,** मगर ऐसा लिबास पहन कर औरत का ग़ैर मर्द के सामने जाना मना होगा, और अगर घर मे रहती है या औरतो मे पहनने मे हर्ज़ नही, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:480 पर है

"(चुस्त कपड़ा) जिससे बदन का रंग ना चमकता हो, मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हो, की देखने से उज़व की हैयत (जिस्म की बनावट) मालूम होती है, ऐसे कपड़े से नमाज़ हो जाएगी, मगर उस हिस्से की तरफ दूसरो को निगाह करना जाइज़ नही"

आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फतावा रज़वीय्या जिल्द: 22 पेज: 162 पर लिखते है,

"यूँही तंग पेयजमा भी, ना चूड़ीदार हो ना (मर्द को) तख़नो से नीचे, ना चुस्त बदन से सिले, की ये वाज़ेह फुससाक़ है, और सित्र ए औरत का ऐसा चुस्त होना की आज़ा का पूरा अंदाज़ बनाए. ये भी एक तरह की बे-सित्रि है,

चूड़ीदार पयज़ामा पहनने के बारे मे आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा फतावा रज़वीय्या जिल्द: 22 पेज: 172 पर लिखते है,

“चूड़ीदार पयज़ामा पहनना मना है की वाज़ेह फुससाक़ की है, शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस ए दहैलवी किताब अदब अल लिबास मे फरमाते हैं:
سراویل کہ در عجم متعارف است کہ اگر زیر شتالنگ باشد یا دوسہ چین واقع شود بدعت وگناہ است
(शलवार जो अजमि इलाक़ो मे मश'हूर वा मारूफ़ है अगर तख़नो से नीचे हो या दो तीन इंच (शिकन/चूरी/बाल) नीचे हो तो बिदअत और गुनाह है,)

واللہ اعلم و رسولہ اعلم ، عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم

सुवाल 19

क्या औरतों को तरावीह पढ़ना सही है ? अकेले या जमा'अत से ?

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है, और ये मर्द औरत दोनो के लिए है, इसका तारिक़ (तर्क करने वाला) गुनहगार. जैसा की बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:688 पर है

“तरावीह मर्द औरत सबके लिए बिला इज़मा सुन्नते मुअक्कदा है इसका तर्क जाइज़ नही”

फतावा रज़विया जिल्द:7 सफह:462 पर है

“अगर कोई शख्स मर्द या औरत बिला उजर ए शरई (तरावीह) तर्क करे, मुब्तला ए कराहत वा असात हो”

अब रहा ये की जमाअते तरावीह क्या है? क्या तरावीह जमाअत से ही पढ़ना ज़रूरी है, तो तरावीह की जमाअत सुन्नत ए किफाया है, अगर महल्ले से किसी ने जमाअत क़ायम ना की तो सब गुनहगार, और अगर

कुछ लोगो ने जमाअत से पढ़ ली और बाकी कुछ ने घर मे पढ़ ली तो कुछ गुनाह नही, दूर्रे मुख़्तार जिल्द:1 सफह:98 पर है

والجماعۃ فیھا سنۃ علی الکفایۃ فی الاصح فلوترکھا اھل مسجد اثموا، لالوترک بعضھم

(इनमे असह (ज़्यादा सही) क़ौल के मुताबिक़ सुन्नते किफाया है, अगर तमाम अहले मस्जिद ने इसे तर्क किया, तो गुनहगार होंगे, और कुछ ने (तरावीह की जमाअत) तर्क की तो गुनहगार नही)

फतावा रज़विया जिल्द:7 सफह:462 पर है

"अगर अहले महल्ला अपनी अपनी मसजिद में, इक़ामत जमाअत करें, और उनमे बाज़ घरो मे तरावीह तन्हा या जमाअत से पढ़े तो हर्ज़ नही"

अब रहा ये की घर मे कैसे जमाअत बने अगर कोई हाफ़िज़ ना हो तो? इसका जवाब ये है की तरावीह का 20 रकाअत पढ़ना ज़रूरी है, फिर चाहै आखरी पारे की छोटी छोटी आयतो से 20 रकाअत पूरी कर ली जाए तब भी गुनाह नही, वरना तो औरतो मे कोन सी हाफ़िज़ा होती है ? तो वो कैसे पढ़ती हैं, ज़ाहिर है जो सूरत याद होती हैं उन्ही से पढ़ती है, तो घर मे ऐसा शख्स, जो क़ाबिले इमामत हो, तो जमाअत क़ायम की जा सकती है ठीक वैसे है, अगर शोहर इमामत के क़ाबिल है, तो बीवी उसके साथ जमाअत बना सकती है, और 20 रकाअत तरावीह पढ़ सकते हैं, और अगर बिल फ़र्ज़ किसी दिन की तरावीह रह जाए तो उसकी क़ज़ा नही, और ना आगे पढ़ना बंद करे, शैतान ने लोगो के दिलो मे ये वस्वसा डाला हुआ है की अगर तरावीह एक दिन भी छूट जाए तो पहले उसकी क़ज़ा करनी पढ़ती है, और ये भी की तरावीह छूटे तो अब आगे नही पढ़

सकते, क्यूँ फिर छूट जाएँगी, ये दोनो बाते ग़लत है फतावा रज़विया जिल्द:7 सफह:463 पर है

“तरावीह अगर नागा हो तो उनकी क़ज़ा नही”

अब रहा औरतो की जमाअत का मसअला तो औरत को जमाअत से नमाज़ पढ़ना गुनाह है, चाहै कोई भी नमाज़ हो, एक सूरत जाइज़ होने की ये हो सकती है की, अगर मर्द इमाम है और औरत उसकी मेहरम या बीवी है तो बा-जमाअत नमाज़ पढ़ सकते हैं, जैसा फतावा रज़विया जिल्द:6 सफह:492 पर है

पर इरशाद फरमाते हैं

“और अगर जमाअत मे जितनी औरतें उसकी मेहरम या बीवी या हद्दे शहवत तक ना पहुँची लड़कियों के सिवा (कोई) नही तो (जमाअत से नमाज़ पढ़ना) बिला कराहत जाइज़ है, और ना-मेहरम (शहवत को पहुची हुई) हो तो मकरूह बहरहाल”

खुलासा ए कलाम ये है की

औरत को भी तरावीह पढ़ना ज़रूरी हैं ना पड़ेगी तो गुनहगार होगी, औरत को जमाअत से तरावीह जाइज़ नही, तन्हा पढ़े, मगर इमाम अगर उसका शोहर बने या कोई मेहरम (बाप, बेटा, भाई) तो औरत को उनके पीछे जमाअत से तरावीह बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ भी अदा कर सकती है,

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सुवाल 20

सलाम, ऑटोमॅटिक वॉशिंग मशीन मे पाक और नापाक कपड़े एक साथ धोना कैसा, जबकि वो मशीन तीन बार पानी लेकर धोती है एक बार धोकर फिर स्पिन करती है इसी तरह दो बार और रहनूमाई फरमाईएगा

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर मशीन मे सारे कपड़े पाक है, कोई नापाक कपड़ा उसमे शामिल नही तो हर्ज़ नही कपड़े पाक हो जाएँगे, और अगर पाक नापाक मिक्स है तो, चाहिए ये की पहले नापाक कपड़ो को अलग करके साफ पानी से पाक करे यानी, जो गंदगी की जगह है उसे साफ करके धोए, वरना नापाक और पाक मिक्स करके पानी मे डालने से सारे कपड़े नापाक हो जाएँगे, और ऐसा करना गुनाह है, ख़वातीन के लिए ये मसअला बहौत गौर करने का है और घरो मे अक्सर औरते इससे गफिल होती हैं, याद रखे की मशीन हो या बाल्टी अगर उसमे नापाक कपड़े डाल कर पानी भर दिया और उसी पानी मे फिर पाक कपड़े भी मिला दिए तो ऐसा करने वाला/वाली गुनाहगार होगा/होगी की **पाक चीज़ को बिला वजह नापाक करना हराम है,**

आला हज़रत , इमाम ए इश्क़ ओ महबबत, शाह इमाम अहमद रज़ा हनफी क़ादरी बरेलवी फतावा रज़वीय्या जिल्द: 1 सफह:792 पर फरमाते हैं,

"बिला ज़रूरत पाक शे को नापाक करना नाजाइज़ ओ गुनाह है,"

और फतावा रज़वीय्या जिल्द: 4 सफह:585 पर फरमाते हैं,

"जिस्म या लिबास बिला ज़रूरत ए शरिय्या नापाक करना और ये हराम है"

लिहाज़ा पूछी गई सूरत मे मशीन या किसी भी चीज़ मे पाक या नापाक कपड़े एक साथ भिगा देना गुनाह है, चाहिए ये की पहले नापाक कपड़ो को अलग करके साफ पानी से पाक करे, यानी जो गंदगी की जगह है उसे साफ करके धोए, वरना बाल्टी मे सिर्फ़ नापाक कपड़े डाल कर नल खोल

दे, या मशीन मे सिर्फ़ नापाक कपड़े पहले डाले और उपर से मशीन मे पानी भरे, और नीचे से पाइप खोल दिया जाए और पानी बहने दे, (फिर चाहै तो हाथ से भी माल ले) जब यक़ीन हो जाए की अब नापाकी छूट चुकी होगी और नापाक पानी भी मशीन से निकल गया तो अब पाक कपड़े उस मे डाल कर अपने रिवाज़ के मुताबिक़ धो सकते हैं,

अब रहा ये की अगर किसी ने दोनो तरह के कपड़े (पाक और नापाक) एक साथ मशीन मे डाल दिए तो सब नापाक हो गये,? और मशीन के 3 पानी निकालने का एतबार नही मगर जब उन कपड़ो का अलग अलग टंकी मे पानी निकाला जाता है तो वो पाक हो जाते हैं, और टंकी मे पानी निकालते वक़्त 3 बार धो कर निचोड़ना शर्त नही है, जैसा की, फ़क़ीह ए इस्लाम, क़ाज़ी ए मिल्लत, मुफ़्ती ए उम्मत, नायब ए मालिक ए जन्नत, सद्र उस शरीया हज़रत अल्लामह मौलाना अल-हाज, अल हाफ़िज़ अल- मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी

फतावा अमजदिया जिल्द:1 सफह:35 पर लिखते हैं,

“(3 बार धोने और निचोड़ने का) हुक्म उस वक़्त है जब थोड़े पानी मे धोया हो, और अगर हॉज़ ए कबीर मे धोया हो, या (नल, पाइप, लोटे वगेरा के ज़रिए) बहूत सा पानी उस पर बहाया, या बहते पानी मे धोया तो निचोड़ने की शर्त नही”

खुलासा ए कलाम :- ये है की पाक नापाक कपड़े एक साथ मशीन मे धोने वाली औरत गुनहगार है, उस पर अब तक ऐसा करने की वजह से तोबा करना ज़रूरी है, और आइन्दा ऐसा ना करना का ख्याल रखे, और नापाक कपड़ो का पानी पहले निकाल ले और पाक कर ले फिर मिक्स करे, और अगर मिक्स कर दिए तो सब नापाक हो जाएँगे, और बाद मे जब टंकी से

एक एक कपड़े का सही से पानी निकाला जाएगा तो सब वन बाइ वन पाक होते रहेंगे,

والله تعالٰی اعلم بالصواب والله يرجع اليہ ماٰب

सुवाल 21

कभी मां बाप अपनी औलाद को कोसते हैं किसी की तो ज़बान बहोत बुरी होती है कुछ भी कह देते है तो क्या औलाद पे वो लानत बैठती है जब औलाद की ग़लती ना हो बस माँ का मिजाज़ ही ग़ुस्सेल हो ? कभी भाई बहैन मे तकरार होती है गुस्से मे बोलते है तू मर गई मेरे लिए, क्या रिस्ता ख़तम हो जाता है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत जिस वज़ुहात से जहन्नम मे जाएगी उसमे से एक कोसना और लानत करना भी होगा, मगर जो बद-दुआ दी गई अगर क़ुबूलियत की घड़ी हुई तो बद-दुआ असर लाएगी, और हदीस मे कोसने, बद-दुआ देने को मना किया गया, मगर अल्लाह (बिला वजह शरा) बद-दुआ को इतनी जल्दी क़ुबूल नही करता जैसे आम दुआ को.

हदीस मे है -

“अपनी जानो पर बद-दुआ ना करो और अपनी औलाद पर बद-दुआ ना करो, और अपने खादिमो पर बद-दुआ ना करो, कही क़ुबूलियत की घड़ी से मावाफ़ीक़ ना हो”

तिर्मिजि मे है हुज़ूर ने फरमाया –

إنّی سألت الله أن لا يقبل دعاء حبيب علی حبيبہ

(बेशक़ मैने अल्लाह से सुवाल किया की, किसी प्यारे की प्यारे पर बद-दुआ क़ुबूल ना फरमाये)

तफ़सीर सिरात उल जीनान जिल्द:4 सफह:291 पर है

“अगर अल्लाह लोगों की बद-दुआएँ जैसे के वो गुस्से के वक़्त, अपने लिए, अपने अह्ल ओ औलाद ओ मां के लिए, करते हैं, और कहते हैं हम हलाक़ हो जाएँ, खुदा हमे गारत करे, बर्बाद करे और ऐसी ही कलिमे, अपनी औलाद और रिश्तेदारो के लिए कह गुज़रते हैं, जिसे उर्दू मे कोसना कहते हैं, अगर वह दुआ ऐसी जल्द कुबूल कर ली जाती जैसे जल्दी वह, दुआ खैर कुबूल होने मे चाहते हैं, तो उन लोगो का खतिमा हो चुका होता, और वह कब के हलाक़ हो गये होते, लेकिन अल्लाह अपने करम से दुआ ए खैर कुबूल फरमाने मे जल्दी करता है, और दुआ ए बद के कुबूल मे नही,”

रहा लानत करना तो लानत करना काफ़िर पर भी जाइज़ नही, तो मुसलमान (औलाद) पर कैसे जाइज़ हो जाएगी,

सही मुस्लिम मे है

“बहूत लानत करने वाले क़ियामत के दिन, गवाह वा शफ़ी ना होंगे,”

अबु दावूद मे है

“मुसलंमान की लानत मिस्ल उसके क़तल के है”

सही बुखारी मे है

“मैने औरतो को दोज़ख़् मे बा-कसरत देखा, फरमाया किस वजह से कहा- तुम लानत बहूत करती हो”

फ़ाज़ईले दुआ सफह: 188 पर है

“किसी मुसलमान पर लानत ना करे… यूँही मच्छर, जानवर पर भी लानत माना है”

लिहाज़ा इन दलायल से ये बात साबित होती है की, किसी भी मुसलमान पर लानत करना मना है चाहै वो गुनाहै कबीरा करता हो की ईमान उसके साथ है, और कबीरा से ईमान नही जाता, इससे उन औरतो को इब्रत लेनी चाहिए जो ग़ैर तो ग़ैर, बात बात पर अपनी औलाद और शोहर और घर वालो को लानत करती हैं, इसी वजह से जहन्नम मे ज़्यादा हैं,

फकत कह देने से रिश्ता ख़तम नही होता

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सुवाल 22

औरत को हैज़ की मुद्दत से ज़्यादा खून आता हो वो इस वजेह से नमाज़ अदा नही करती और खून बंद होने के बावजूद वाइट डिसचार्ज होता हो और यह नही तो उसको पेशाब के क़तरे निकलने का भी मसअला है और सजदे की हालत मे रीह निकलने का अंदेशा, इन सब वजूहात की वजेह से वो कभी नमाज़ नही पढ़ पाती ऐसे मे उस औरत पर शरीअत का क्या हुक्म है ? बरा ए करम जवाब तफ़सील और दलील से समझाए ताके उस औरत को नमाज़ की अहमियत और शरई मअज़ूर की इस्लाम मे क्या रियायत है समझ मे आ जाए जज़ाकल्लाह हो खैरा

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

हैज़ की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है, अगर इससे ज़्यादा खून आए तो हैज़ नही बीमारी है, देखें, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह: 372 पर है,

“हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन (72 घंटे) और इससे एक भी मिनट कम हो तो हैज़ नही, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है”

इसी तरह औरत के अगले मुक़ाम से निकलने वाली सफेद रतूबत, जिसमे खून नही होता, वो गुस्ल फ़र्ज़ नही करती ना वज़ु को तोड़ती इसी तरह

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:304 लिखा है

“औरत के आगे से जो खाली रतूबत बे-अमेज़िश खून (बग़ैर खून मिले) निकले, वज़ु तोड़ने वाली नही, अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा (भी) पाक है,”

रहा क़तरा आना तो अगर क़तरा लगातार आता है यानी कोई वक़्त नमाज़ का ऐसा नही गुज़रता की वज़ु रह सके, ये शरई उजर है, एक वज़ु से जितनी नमाज़ पढ़ेगी हो जाएगी, और वक़्त ख़तम होने से वज़ु टूट जाएगा, और ऐसी सूरत मे औरत को चाहिए की आगे के मुक़ाम मे कोई कपड़ा या (Pad) इस्तेमाल करे, और नमाज़ से पहले वज़ु करके उसे निकल दे, और बाद नमाज़ फिर लगा ले, **ताकि हर बार क़तरे से शलवार खराब ना हो**, और इस मर्ज़ का इलाज भी कराए, और अगर रीह का मसअला ऐसा है की क़ियाम मे रीह नही आती मगर सजदा करेगी तो रीह यक़ीनन खारिज होगी और सजदा ना करे तो रीह खारिज नही होगी तो बैठ कर नमाज़ पढ़ने का इख़्तियार है और सजदा इशारे से करे, क्यूंकी जो सजदे पर क़ादिर नही तो क़ियाम भी उस पर से मुआफ़ है, यानी अब वो बैठ कर भी पढ़े तो नमाज़ होगी देखे

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:510

“अगर क़ियाम पर क़ादिर है मगर सजदा नही कर सकता, तो बेहतर ये है की बैठ कर इशारे से पढ़े, और खड़े हो कर भी पढ़ सकता है,”

“जिस शख्स को खड़े होने से क़तरा आता है, या ज़ख़्म बहता है, और बैठने से नही आता तो उसे फ़र्ज़ है की बैठ कर पढ़े,

लिहाज़ा अगर सजदा करने मे क़तरा आता है, या रीह निकलती है, तो बैठ कर नमाज़ पढ़ी जाएगी इस सूरत मे नमाज़ मुआफ़ ना होगी,

والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب

सुवाल 23

हमारा सुवाल है, क्या हैज़ वाली औरत मस्जिद जा सकती है,

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

नही जा सकती, क्यूंकी नापाकी की हालात मे मस्जिद मे जाना मर्द और औरत दोनो को हराम है.

बहारे शरीअत मे मस्जिद के आदाब बयान करते हुए फरमाते है... हैज़ वा निफास वाली औरत को मस्जिद की छत पर (भी) जाना हराम है क्यूंकी वो भी मस्जिद ही के हुक्म मे है

(बहारे शरीअत जिल्द: 1, पेज: 645)

जिस के बदन पर नजासत (गंदगी) लगी हो उसे मस्जिद मे जाना मन'आ है

(दुर्रे मुख़्तार जिल्द: 2 पेज: 517)

बच्चा और पागल जिनसे गंदगी का ख़तरा हो, मस्जिद लाना हराम है

(बहारे शरीअत जिल्द: 1, पेज: 645)

والله اعلم بالصواب

सुवाल 24

हमे ये इरशाद फरमाये, की क्या मंगनी हो जाने के बाद, लड़की, अपने होने वाले शोहर से कॉल पे बात कर सकती है, एक इमाम साहिब कहते, बिल्कुल नही कर सकती, गुनाह है हराम है क्या सच मे गुनाह है,

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इमाम साहिब ने सही फरमाया, मगर तहक़ीक़ यही है की, इसमे एक ही सूरत ही मुबाह की हो सकती है, की अगर शोहर आलिमे दीन या क़ाज़ीए इस्लाम या मुफ़्ती ए इस्लाम है, और उनके पास और भी औरतें फ़ोन वगेरा करती हैं और फोन पर कोई मसअला पता करती है तो फिर इसका क्या जुर्म, (जबकि वहा कोई अलिमा ना हो)

बस इतनी इजाज़त है, बतौर साइल दीन का मसअला हो जैसे की आजकल, प्रोग्राम मे भी मुफ़्ती साहब को औरते कॉल करती है और मसअला पता करती है जबकि वो भी ग़ैर होती है इसी तरह, ये भी बस दीन की रहनूमाई, ले सकती है इसके अलावा कुछ नही,

(और ये भी हुक्म बस उलमा, मुफ़्ती वगेरा के लिए है, आम लोगो को तो इसकी भी इजाज़त नही,) क्यूंकी सबके होने वाले शोहर आलिम हो ज़रूरी नही. इसिलए इमाम साहिब ने सही कहा,

والله أعلمُ

सुवाल 25

बाज़ लोग तिलावते क़ुरआन करते हैं खास कर रमज़ान मे बिना ही आवाज़ के और इसी तरह क़ुरआनख्वानी मे, बच्चे यानी चुपचाप उंगली चलाते रहते है और यही हाल घरो मे औरतो का होता है, तो इस तरह

क़ुरआन बे-आवाज़ पढ़ा हुआ है या नही, इसे इसाले- सवाब कर सकते हैं या नही,

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

बग़ैर आवाज़ दिल मे क़ुरआन को पढ़ने या सिर्फ़ देखने से पढ़ने का सवाब नही मिलेगा, सिर्फ़ देखने का मिलेगा, और उसे छूने का (अगर उंगली रख के पढ़ा)

والله ورسولہ اعلم ، عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم

सुवाल 26

अगर किसी ख़ातून के शौहर का इंतेक़ाल हो गया हो और उसके बच्चे इस्लाम से बालिग हों मगर दुनियावी तौर पर नही और वो पढ़ रहे हों और उस ख़ातून का कोई ज़रिया ना हो पैसे का तो उसपे फिक्स डेपॉज़िट और बँक का इंटेरेस्ट लेना हराम होगा या जाइज़ ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जाइज़ होगा, और ये खास इस औरत के लिए ही नही बल्कि. हिंद के बँक से जो एक्सट्रा रक़म मिलती है वो जाइज़ है. वो सूद नही है. (जबकि बैंक कुफ्फार का हो)

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالصـواب

सुवाल 27

गीबत करने से कैसे बचा जा सकता हैं और गीबत करने वालो का अज़ाब क्या है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

गीबत करना हराम और जहन्नम मे ले जाने वाला काम है, और गीबत सुनने वाला भी करने वाले की तरह गुनहगार होता है,
गीबत और इसकी मज़म्मत पर बहैस तवील है मगर यहाँ मुख्तसर ब्यान किया जाता है, अल्लाह ता'आला कुबूल करे और हमे इस मोहलिकाते खबीसा से बचने की तोफिक दे,
कुरआन पाक सुराह हुजूरत आयत 12 मे अल्लाह का इरशाद ए पाक है,
"और एक दूसरे की गीबत ना करो क्या तुम मे कोई पसंद रखेगा की अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हे गवारा ना होगा,"
गीबत इज़्ज़त को ख़तम कर देती है इसीलये इसे माल और खून के साथ ज़िक्र किया गया
मुस्लिम शरीफ की हदीस मे है,
एक दूसरे से हसद ना करो, बुगज़ वा अदावत ना रखो, नफ़रत दिलाने वाले काम ना करो, ना आपस मे बेरूख़ी इख़्तियार करते हुए क़त'आ ताल्लुक़ करो, ना एक दूसरे की गीबत करो और ए अल्लाह के बन्दो भाई भाई बन जाओ,
और फरमाते है मदीने के ताजदार,
गीबत से बचो बेशक गीबत ज़िना से भी सख़्त-तर है
"मैं शबे मेराज ऐसे लोगो के पास से गुज़रा जो अपने चेहरो को अपने नाखूनों से नोच रहै थे, ये लोग गीबत करते और उनकी आबरुरेज़ी करते थे,"
अल्लाह ता'आला ने हज़रत ए मूसा (अलैहिस्सलाम) की जानिब वही फरमाई, जो गीबत से तौबा करके मरा वो आखरी शख्स होगा जो जन्नत

मे जाएगा और जो गीबत पर क़ायम रहते हुए मरा वो पहला शख़्स होगा जो जहन्नम मे दाखिल होगा,

और ये भी याद रखना चाहिए गीबत, फक़त ज़ुबान ही से नही बल्कि आँख से, हाथ से, इशारो से लिख कर फोन पर, sms पर भी हो सकती है,

गीबत सुनने से किस तरह बचे इसकी रहनूमाई करते हुए मेरे अक़ा हुज्जत_उल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली अपनी मक़बूले दो जहाँ तस्नीफ

इहिया उल उलूम जिल्द: 3 सफह: 443 पर फरमाते है:

अगर वहाँ से उठ कर जा सकता है या गुफ्तगू का रुख़ बदल सकता है तो ऐसा ही करे वरना गुनहगार होगा.

واللہ سبحٰنہ وتعالٰی اعلم

सुवाल 28

हज़रत क़ुरआन शरीफ आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है या हम बिना आवाज़ के भी तिलावत कर सकते हें,

जवाब:1830 بسم اللہ الرحمن الرحیم

क़ुरआन आवाज़ से पढ़ा जाएगा, कम से कम इतनी आवाज़ तो हो की खुद के कान सुन लें, अगर दिल दिल मे पढ़ा, और मुँह बंद है, जैसा की अक्सर औरते पढ़ती है तो वो पढ़ा हुआ नही माना जाएगा, हाँ, क़ुरआन देखने और छूने का सवाब ही मिलेगा, वो भी अगर उंगली रख कर पढ़ा, अगर बस देखा और उंगली भी ना रखी तो बस देखने का सवाब, और अगर इसी तरह नमाज़ मे भी किसी की आदत है की क़िराअत इतनी आहिस्ता करता है की खुद भी नही सुन पाता बस नियत बाँधी और दिल

दिल मे नमाज़ पूरी पढ़ ली तो इस तरह नमाज़ भी नही होती, जैसा की बहारे शरीअत जिल्द: 01 सफह: 544 पर है

"क़िराअत मे इतनी आवाज़ दरकार है की अगर कोई शोर, गुल ना हो तो खुद सुन सके, अगर इतनी आवाज़ भी ना हो तो नमाज़ ना होगी,"

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصـواب

सुवाल 29

नमाज़ पढ़ते वक़्त आवाज़ कितनी तेज़ होनी चाहिए ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

कम से कम इतनी आवाज़ तो हो की खुद के कान सुन लें, और दिल दिल मे नमाज़ पूरी पढ़ ली तो इस तरह नमाज़ भी नही होती

बहारे शरीअत जिल्द: 01 सफह: 544

और बाज़ लोग जो तन्हा नमाज़ पढ़ते वक़्त सिर्फ़ होन्ट हिलाते है या दिल दिल मे पढ़ते है, ये पढ़ना नही और इस तरह नमाज़ नही होती.

واللہ أعلمُ بالصـواب

सुवाल 30

क्या पिलास्टिक के कंगन या कुछ भी पहनने से नमाज़ हो जाती है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

प्लास्टिक के कंगन चूड़ी वगेरा पहन कर नमाज़ हो जाएगी

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالصـواب

सुवाल 31

बहुत लोगों को कहते सुना है की जिस लड़की के हाथ मैं चूड़ीयां या कड़े नही होते उन के हाथ का पानी हराम है

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم
औरत का बग़ैर ज़ेवर रहना मकरूह है, मगर ऐसी औरत के हाथ का पानी पीना गुनाह नही, की गुनाह को साबित करने के लिए कम से कम तरके सुन्नत ए मौअक्कदा की आदत या वाजिबात का -2-3 बार तर्क करना, या फ़र्ज़ का 1 बार तर्क ज़रूरी है, या फिर हराम का एक बार करना या मकरूह ए तहरीमी की आदत बनाना. वगेरा का पाया जाना चाहिए और चूड़ी ना होने से इनमे से कुछ भी साबित नहीं हो रहा लिहाज़ा न बग़ैर चूड़ी रहना गुनाह है, न उसके हाथ का पानी पीना गुनाह
واللہ تعالٰی اعلم

सुवाल 32
अगर कोई औरत को बच्चा पैदा हो तो क्या 40 दिन तक जब तक वो निफास से होती है इस दरमियान अपने शौहर के साथ हम बिस्तर हो सकती है या ऐसा करने पर दोनो मिया बीवी किसी गुनाह के हक़दार होंगे
.
जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم
लोगो मे ये ग़लत फहमी है की निफास हर हाल मे 40 दिन तक रहता है, जबकि ये ग़लत है, निफास की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन होती है, मगर इसका ये मतलब नही की सारी औरत 40 दिन मे ही पाक हो, बल्कि अगर खून 10 दिन बाद रुक गया तो निफास ख़तम हो जाता है, और 11वे दिन औरत पर सारे अहकाम की पेरवी ज़रूरी है, मसलन नमाज़, रोज़ा वगेरा, अगर किसी को 40 दिन ही खून आए तो निफास है, इससे ज़्यादा आए तो बीमारी तो जो दिन निफास के है, **उन दिनो मे**

शोहर के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, और अगर हलाल जाने तो कुफ्र है, बलके नाफ़ से गुटनो तक बा-शहवत छूना भी गुनाह है इसी तरह अगर बीवी के साथ सोने मे शहवत पर क़ाबू ना कर सकेगा (और वती कर लेगा) तो उसके साथ सोना भी हराम और गुनाह बल्के अपना बिस्तर अलग रखे, और अगर जिमा ना करेगा तो साथ सो सकता है, बोसा वगेरा लेना जाइज़ है,

बहारे शरीअत जिल्द1 सफहः382 पर है

"हमबिस्तरी इस हालत (हैज़ और निफास) मे हराम है, ऐसी हालत मे हमबिस्तरी जाइज़ जानना कुफ्र है, नाफ़ से गुटनो तक औरत के बदन को मर्द अपने किसी हिस्से से छूना जाइज़ नही, (जबकि कपड़ा ना हो) (हाँ, अगर कपड़े के उपर से छुआ की गर्मी महसूस ना हुई तो जाइज़) नाफ़ से उपर और घुटनो से नीचे छूने या किसी तरह का नफ़ा लेने मे कोई हर्ज़ नही" (यानी नाफ़ से उपर सर तक पूरे जिसम पर बोसा ले सकता है, और हाथ भी जिस्म पर लगा सकता है, इसी तरह घुटनो से नीचे),

والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب

सुवाल 33

क्या हैज़ वाली औरत नियाज़ का खाना पका सकती है, लोग कहते है नापाक औरत नियाज़ के लिए खाना नही पका सकती और क्या हदीस, पंजसुराह या कोई दीनी किताब उठा या पढ़ सकती है, अगर वो हिन्दी मे हो या अरबी मे जवाब इनायत फरमाएँ

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

ऐसी औरत खाना पका सकती है फिर चाहै खाने के लिए हो या नियाज़ के लिए, अगर खाना नापाक हो जाएगा तो नियाज़ तो दूर खाया भी नही जा सकता, ये महैज़ शरीअत से बेख़बरी है, और ऐसी (हैज़ वाली) औरत अपने वज़ीफ़े भी इसी हाल मे पढ़ सकती है, मगर क़ुरआन की नियत से कोई क़ुरआन की आयत पढ़ भी नही सकती मगर दुआ की नियत से पढ़ सकती है जैसे, खाते वक़्त बिस्मिल्लाह वगेरा वेसे बिस्मिल्लाह भी क़ुरआन है मगर, इसे दुआ के तोर पर पढ़ा जा सकता है इसी तरह शजरा के वज़ीफ़े भी पढ़े जा सकते है, मगर क़ुरआन का छूना और क़ुरआन की नियत से क़ुरआन या कोई सूरत, आयत पढ़ना हराम है जैसे की बहारे शरीअत जिल्द1 सफह:326 से है

“जिस को नहाने की ज़रूरत हो (नापाक) उसको मस्जिद मे जाना, तवाफ़ करना, क़ुरआन को छूना, या बे छुए देख कर ज़ुबानी पढ़ना, या किसी आयत का लिखना, या आयत का तावीज़ लिखना, या ऐसे तावीज़ छूना हराम है”,

इसके सिवाय हदीस या दीनी मसअलों की किताब पढ़ सकते है, हराम नही ना गुनाह, मगर मकरूह है, और उस किताब मे आयते क़ुरानी का वही हुक्म होगा जो ब्यान हुआ यानी उनका छूना हराम होगा, जैसा की:

बहारे शरीअत जिल्द1 सफह:327 पर है:

इन सब (नापाक, बेवज़ु) को फिक़, तफ़सीर और हदीस की किताबो का छूना मकरूह है, और अगर उनको कपड़े से छुआ तो हर्ज नही. इसी तरह इनको अज़ान का जवाब देना जाइज़ है.

واللہ سبحٰنہ وتعالٰی اعلم

सुवाल 34

हज़रत औरत अपने सिर के बाल कटा सकती है या एसा करना गुनाह है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत को मर्दाना बाल करवाना हराम है और हदीस मे ऐसी औरतो पर लानत की गई, और इस तरह कटवाना भी मना की जिसमे आगे कुछ बाल माथे पर गिरे रहते है जिन्हे आम ज़ुबान मे “**लट**” कहते है और वो ग़ैर मर्द की नज़र मे आते है, इसके सिवा अगर बालो की नोक कटवाई जाए जिससे बालो का लंबा होना रुक जाता है या दो मुँह बाल हो जाते है फिर आगे नही बढ़ते तो ऐसे सूरत मे नोक कटवा कर दो मुँह बाल कटवाए जा सकते है, मगर खुद काटे या किसी औरत से कटवाए और ये भी याद रखना चाहिए की, वो कटे हुए बाल पर भी ग़ैर मर्द की नज़र पड़ना गुनाह है, अगर बाल ऐसी जगह डाले जहाँ ग़ैर मर्द की नज़र पढ़े तो औरत गुनहगार होगी, लिहाज़ा इस बात का भी अहतियात रखा जाए, और ये एहतियात कंघी करते वक़्त भी रखी जाए जैसा की

बहारे शरीअत जिल्द: 3 हिस्सा 16 सफ़ा: 91-92 पर है

जिस उज़्व (पार्ट) की तरफ नज़र करना नाजाइज़ है, अगर वो बदन से जुदा भी हो जाए तो अब भी उसकी तरफ नज़र करना नाजाइज़ रहेगा.

والله تعالٰی اعلم بالصواب والله یرجع الیہ ماٰب

सुवाल 35

हज़रत औरतो का मेक्प करना कैसा है, लिपस्टिक वग़ैरह वो इस्तेमाल कर सकती हैं या नही

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अपने शोहर के लिए जाइज़ है, और ग़ैर के लिए हराम, ग़ैर शादी शुदा लड़की को भी जाइज़ है, लिपस्टिक मे अगर कोई नाजाइज़ केमिकल है तो नाजाइज़ वरना जाइज़, मगर उसकी इतनी मोटी परत लगाना की वज़ु का पानी होन्ट तक ना पहुचे तो वज़ु नही होगा वरना हो जाएगा, लिपस्टिक मे हमारी राय तो होती है की इससे परहैज़ ही करना चाहिए, क्यूंकी इस ज़ीनत का ग़ैर मर्द पर इज़हार ज़रूर हो जाता है, मसलन, घर मे देवर जेठ से, और ये नही तो घर आए मेहमान से, हाँ अगर घर मे सिवाए शोहर या औलाद या औरतो के कोई नही तो हर्ज नही,
واللہ تعالٰی اعلم

सुवाल 36

हज़त कुछ औरतों को देखा है जो हिंदूवाना तोर तरीक़ो पे चलती हैं जैसे साड़ी पहनती हैं बिंदिया लगाती हैं नेल्पोलिश लगाती हैं ये सब करने वाली सही या नही

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

साड़ी पहनना जाइज़ है, जबकि ग़ैर मर्द की नज़र मे ना आना पड़े मसलन घर पर शोहर और छोटे बचे या मुसलमान औरते हो तो, वरना सित्र का खोलना हराम होगा,
बिंदिया लगाना उर्फ पर मबनी है, अगर वहाँ की औरते लगाती हो और दूसरी औरते उसे देख कर कानाफुसी ना करे तो हर्ज नही, मगर साड़ी के साथ बिंदिया लगाना और सख़्त है, और बिंदिया लगे हुए वज़ु नही होगा, और अगर बिंदिया भी घर मे लगाए और वज़ु मे हटा ले तो फिर हर्ज़ नही.
नैल्पोलिश के मुताल्लिक़ एक सुवाल के जवाब मे

मुफ़्ती ए आज़म हॉलेंड मुफ़्ती अब्दुल वाजिद क़ादरी

फतावा यूरूप सफह: 107 पर लिखते है

“लिपस्टिक और नाख़ून पोलिश जिसमे हराम और नापाक चीज़ की मिलावट हो, उनका इस्तेमाल मुसलमान औरतो के लिए हराम है, और इसके लगे रहने की सूरत मे ना वज़ु सही ना गुस्ल और ना नमाज़, हाँ अगर इसके साथ फ़ॉर्मूला भी मौजूद हो जिससे ज़न ग़ालिब हो की इसमे कोई हराम चीज़ की मिलावट नही तो इसका इस्तेमाल औरतो के लिए जाइज़ है, वह सामाने ज़ीनत है और औरतो को ज़ीनत रवा(जाइज़) है,”

हाँ, अगर लिपस्टिक और नाख़ून पोलिश की परत वज़ु मे होन्ट और नाख़ून पर पानी बहने से रोकती है तो वज़ु गुस्ल मे इसे साफ करना होगा, वरना ये तहारत मे रुकावट है

والله تعالٰی اعلم

सुवाल 37

बीवी अगर हैज़ (पीरियड्स) से है तो उस से दूर रहना चाहिए. पीरियड्स का मॅक्सिमम टाइम 7 दिन होता है लेकिन अलग अलग औरतों के लिए अलग अलग होता है तो क्या पूरे 7 दिन दूर रहना चाहिए या 3 या 4 दिन मे अगर पाक हो जाती है तो हम बिस्तरी की जा सकती है?

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

औरत जब पाक हो जाए तो शोहर उससे हक़ ए ज़ौजियत अदा कर सकता है, और अलग अलग औरतो का आदत के मुताबिक अलग अलग वक़्त होता है, कोई 4 दिन पाक तो कोई 8 दिन मे,

आपने सुवाल मे पीरियड्स का टाइम 7 दिन ब्यान किया ? ये आपने कहा पढ़ा या सुना ??

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह: 372 पर है,

“हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन (72 घंटे) और इससे एक भी मिनट कम हो तो हैज़ नही, और ज़्यादा से ज़्यादा “10” दिन है”

واللہ سبحٰنہ وتعالٰی اعلم

सुवाल 38

औरत अगर हैज़ या निफास से पाक हो जाए फिर उसे वज़ू या गुसल करने के लिए पानी मुयस्सर ना हो तो क्या वो नमाज़ पढ़ सकती है, जवाब इनायत फरमाएँ मेहरबानी होगी एम. अकमल अता क़ादरी, कश्मीर

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

अगर तयम्मुम की शराइत पाई जाए तो, पानी ना होने पर हैज़ वाली औरत नमाज़ के लिए तयम्मुम करे,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:352 पर है

“औरत हैज़ निफास से पाक हुई और पानी पर क़ादिर नही तो तयम्मुम करे,”

واللہ تعالٰی اعلم

सुवाल 39

हज़रत क्या हमिला (प्रेग्नेंट) औरत का तलाक़ हो जाएगा ? प्लीज़ ज़रा तफ़सील से बताएँ ?

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

इस सुवाल मे तफ़सील की कहा ज़रूरत है, बस जवाब ही चाहिए होता है, और वह यह है की तलाक़ हो जाएगा,

फतावा फ़ैज़रुरसूल जिल्द:2 सफह:111 पर है

“हालते हमल और गुस्से मे तलाक़ हो जाएगी”

والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب

सुवाल 40

क्या फरमाते है उलमा ए अहले सुन्नत इस बारे मे की जो कपड़ा पहैनना हराम है (मसलन मर्द को रेशम वाला, औरत को मर्दाना.. वगेरा वगेरा,) उसे पहन कर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ हो जाती है या नही, ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

ऐसी नमाज़ मकरूह तहरीमी होगी, इस तरह नमाज़ पढ़ने से गुनाह भी होगा और तोबा करना भी वाजिब और नमाज़ का फिर से पढ़ना वाजिब है जैसा की, फतावा रज़विया जिल्द:23 सफह:102 पर है

“नाजाइज़ लिबास के साथ नमाज़ मकरूह तहरीमी होती है, उसका (नमाज़ का) ईयादा (लौटाना) वाजिब है”

दुर्रे मुख़्तार मे है كل صلٰوۃ ادیت مع کراھۃ التحریم وجب اعادتها

यानी, हर वो नमाज़ जो कराहते तहरीमी के साथ अदा की गई हो उसका लौटाना वाजिब होता है

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 41

अगर कोई शख्स किसी ग़ैर मेहरम लड़की को अपनी बहन बनाता है तो क्या ये शरीअत मे जाइज़ है क्यूंकी कुछ रिश्ते ऐसे होते है के खून से भी

ज़्यादा करीबी बन जाते है तो बहन बना ने के बाद उससे बात कर सकता है या नही

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर इसके जवाज़ पर (यानी जाइज़ होने पर) फतवा जारी कर दिया जाए तो एक अज़ीम फित्ने का दरवाज़ा खोलना है, फिर तो हर लड़का जिस लड़की से शादी करना चाहता है तो उसकी छोटी बहन या उसके घर मे रहने वाली किसी भी लड़की को अपनी मुँह बोली बहन बना लेगा और आना जाना शुरू और मक़सद भी हल फिर अक्सर देखा भी यही जाता है, की जिसे कही शादी करनी हो तो पहले उस घर मे किसी काम के बहाने आने जाने की रास्ता खोलता है, उस घर के बच्चो को चीज़ दिला कर, वगेरा वगेरा, में ये नही कहता की साइल का मक़सद ग़लत हो, शरीअत ने जिसे बहन क़रार दिया और उससे निकाह हराम किया वही शरई एतबार से बहैन है, इसके सिवा तो सारे मुसलमान (हज़रत आदम की औलाद होने की बिना पर) बहन भाई ही है, फिर अलग से रिश्ता क़ायम करने की हाजत ही क्या, ग़ैर मेहरम से बहन बना कर रिश्ता रखना, मिलने या बिला वजह शरई बात करने की इजाज़त नही, और जो दिल से बहन माने या मुँह से ये आपके अपने मुँह का कहना है, अल्लाह ने जिससे आपस मे पर्दा फ़र्ज़ किया है, उससे पर्दा है, वरना अपने चाचा की लड़किया भी तो चाचाज़ाद बहन है, फिर शरीअत मे जब इनसे पर्दा क़रार दिया तो बाहर की बनाई **रेडी-मेट** बहन से कैसे मिलने बोलने की इजाज़त होगी.. इस तरह अपने मुँह से रिश्ता बदल कर, रिश्ता बना लेने वालो के बारे मे अल्लाह का फरमान है सुरेः अहज़ाब आयात 4-5

“ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना है, और अल्लाह हक़ फरमाता है,"

والله تعالٰی اعلم

सुवाल 42

क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म के हर एक हिस्से को चूम (किस) कर सकते है, कहते हैं दूध हलक़ मे जाने से निकाह टूट जाता है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

सिवाए शरमगाह के, शोहर बीवी, एक दूसरे के जिस्म के हर एक हिस्से को चूम, चाट सकते है, एक दूसरे के जिस्म से जैसे दिल चाहै, लुतफ़ंदोज़ हो सकते हैं, जैसा की फतावा रज़विया जिल्द:12 सफह:267 पर है

“मर्द के लिए जाइज़ है की अपनी बीवी के सर से लेकर पावं तक जैसे चाहै लुतफ़ंदोज़ हो सिवाए उसके जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है,” (यानी पिछले हिस्से मे सोहबत करना) और आगे फरमाते है की

“रहा पिसतान को मुँह मे दबाना (या चूमना) तो इसका हुक्म भी ऐसे ही है, की जब बीवी दूध वाली ना हो, (तो चूम और मुँह से भी दबा सकते है) और अगर दूध वाली है तो मर्द इस बात का लिहाज़ रखे की दूध का कोई क़तरा उसके हल्क़ मे दाखिल ना होने पाए, तो भी (पिसतान के दबाने और चूमने चूसने मे) हर्ज़ नही”

क़ुरआन परा:22, सुरे::आहज़ब, आयात:53 मे है

“और अल्लाह हक़ फरमाने मे नही शरमाता”

والله تعالٰی اعلم بالصواب والله يرجع اليہ مآب

सुवाल 43

हज़रत, सरकार के ज़माने मे औरत मर्द साथ नमाज़ पढ़ते थे? अब क्यू नही ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحیم

सरकार के वक़्त मे जाया करती थीं, मगर बाद मे फित्ने के ख़ौफ़ से दौरे फ़ारूक़ी मे मना कर दिया, और हज़रत आएशा ने फरमाया.

لوا ن رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم رأی من النساء مارأینا لمنعھن من المسٰجد کما منعت بنواسرائیل نسائھا ١ـہ رواہ احمد وبخاری ومسلم

(हुज़ूर हमारे ज़माने की औरतो को मुलाहज़ा फरमाते तो उन्हे मस्जिद जाने से मना करते, जैसे बनी इसराइल ने अपनी औरतो को मना कर दिया था,)

फ़ताहुल क़दीर मे है

عمم المتاخرون المنع العجائز والشواب فی الصلوات کلھا لغلبۃ الفساد فی سائر الاوقات

(फ़साद के गलबे की वजह से, तमाम वक़्तो की नमाज़ों मे, उमूमन बूढ़ी और जवान औरतो का निकलना मुतखरीन उलमा ने मना फरमाया है)

फतावा रज़विया जिल्द:14 सफह:551 पर है

"जब और फ़साद फैला तो उलमा ने जवान वा ग़ैर जवान (बूढ़ी) किसी के लिए (हाज़री ए मस्जिद की) इजाज़त ना रखी"

औरत को जमाअत से नमाज़ पढ़ना मकरूह है, चाहै दिन की नमाज़ हो या रात की, फ़र्ज़ हो या तरावीह

इसी तरह बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:584 पर है

"औरतो को किसी नमाज़ मे जमाअत की हाज़री जाइज़ नही, दिन की नमाज़ हो या रात की, ज़ुमुआ हो या ईदेन, ख्वा जवान हो या बूढ़ी,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:466 पर है

"(औरत की जमाअत) खुद मकरूह है"

फतावा फ़ैज़रुरसूल जिल्द: 1, सफह:425 पर है

“औरतो को ईदगाह की हाज़री जाइज़ नही.”

अब इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो की जब सहाबा के वक़्त मे फ़साद का ख़ौफ़ हुआ और उन्होने मस्जिद की हाज़री औरत के लिए मना कर दी, तो आज का वक़्त कैसा है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नही, आप खुद ग़ौर करे की अगर मस्जिद मे औरते लड़किया नमाज़ को जाएगी तो हाल क्या होगा, मर्दो का जमघट मस्जिद के बाहर होगा, इमाम से जवान लड़के ज़्यादा मेल जोल रखने लगेंगे, दिन भर मस्जिद मे रहेंगे, बाकी आप खुद समझदार हो, ये दौर दौरे रसूल से बेहतर नही, बुरे से बुरा तर है,

और हदीस मे है

“गुज़रा हुआ कल, आज से बेहतर था, और आज का दिन आने वाले कल से बेहतर है, ता-क़यामत इसी तरह होगा

”अब इस हदीस से और साफ हो गया की, पहले का गुज़रा हुआ दिन अच्छा और आने वाला और खराब होगा लिहाज़ा सहाबा ने जो किया अच्छा किया और उसे उलमा ने बाकी रखा तो और अच्छा किया,

हदीस मे है की हुज़ूर ने फरमाया

انہ سیحدث بعدی اشیاء وان من احبہا الی لما احدث عمر

मेरे बाद बहुत सी चीज़े नई ईजाद होंगी उनमे से मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है जो उमर ईजाद करेंगे

واللہ سبحانہ وتعالی أعلمُ بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सुवाल 44

अगर कोई औरत ये कहै की मेरे उपर किसी बुज़ुर्ग की सवारी आती है क्या कोई वली किसी औरत पर आ सकते है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

ऐसी औरत मक्कार और झूठी है, वरना जाहिल तो ज़रूर है, किसी भी वली या इंसान की सवारी किसी दूसरे इंसान पर नही आती, हाँ, कुछ लोगो पर जिन्नात ज़रूर आते है, जो अपने आप को वली कहते है और जिस पर आते है उसे इसकी खबर नही होती, फिर लोग वही समझ लेते है, जो वो जिन्न कहता है मसलन किसी पर जिन्न आया और कहा मे ग़ौस ए आज़म हूँ, अब लोग उसे समझते है की ग़ौस की सवारी आती है, और ये सब ड्रामा जिन्नात तफरीह करने के लिए करते है, और ये भी याद रखे की जिन्न भी किसी किसी पर आते है, हर किसी पर नही कुछ लोगो का तो खुद का ड्रामा होता है,

वक़ारूल फतावा जिल्द: 01 सफह:177 पर है

"किसी मर्द या औरत पर किसी बुज़ुर्ग की सवारी नही आती, सिर्फ़ जिन्नात का असर होता है वो भी किसी किसी पर, मगर इस जिन्नात से सुवाल करना या आइन्दा का हाल मालूम करना नाजाइज़ है"

والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب

सुवाल 45

औरत अगर बालो का जूड़ा बना कर वज़ु करे तो वज़ु होगा की नही ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत ने बालो का जूड़ा बँधे बँधे वज़ु किया तो वज़ु हो जाएगा इसमे किसी तरह का कोई हर्ज़ नही, और अगर गुस्ल किया तो गुस्ल भी हो

जाएगा, चाहै जुडे के बाल पूरे गीले हो या ना हो, फिर भी गुस्ल हो जाएगा, (बस सर यानी बालो की जड़ मे पानी जाना चाहिए,)

والله تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 46

मेरा सवाल ये है क्या औरत आवाज़ से क़ुरआन शरीफ की तिलावत नही कर सकती ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

क़ुरआन की तिलावत आवाज़ के साथ ही करनी चाहिए, और कम से कम इतनी आवाज़ जो खुद के कान तक आ सके, और औरत को इतनी आवाज़ से क़ुरआन पढ़ना जाइज़ नही की उसकी आवाज़ ग़ैर मर्द के कानो तक जाए, इसी तरह मीरात उल मनाज़ी शरह मिश्कातुल मसाहबिह जिल्द:6 सफह:445 पर है

“औरत को अज़ान देना, तकबीर कहना, खुश-इल्हानी (अच्छी आवाज़) से अज्नबियो के सामने तिलावते क़ुरआन करना सब मना है, औरत की आवाज़ भी सित्र है,"

मीरात उल मनाज़ी शरह मिश्कातुल मसाहबिह जिल्द:8 सफह:59 पर है

“जो औरत क़ारिया हो वो भी अपनी क़िराअत औरतो को सुनाए, मर्दो को ना सुनाए, क्यूंकी औरत की आवाज़ का भी पर्दा है”

والله تعالیٰ اعلم

सुवाल 47

सलाम, बीवी के हुक़ूक़ तो हर लड़की को अमूमन मालूम है, इसीलिए हिन्दुस्तानी लड़की परेशानियो के हद से गुज़र जाने के बावजूद ना मैके

की दहलीज़ फलांगती है ना सुसराल की इसलिए हज़रत बराए करम रहनुमाई फरमाये के 1 शोहर के हुक़ूक़ क्या है, 2- जो बीवी घर की सारी ज़िम्मेदारी अदा करती हो जो शोहर की है इस के लिए क्या हुक्म है, हज़रत तसल्ली बख़्श जवाब इनायत फरमाये जज़ाकल्लाह

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इसकी तफ़सील आप किसी किताब (जन्नति ज़ेवर, वगेरा) से पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है एक जवाब मे सब बताना मुमकिन नही. कुछ मुख्तसर अर्ज़ है,

हदीस मे फरमाया

"तुम मे अच्छे वह लोग हैं, जो औरतो से अच्छी तरह पेश आएँ"

बुखारी मे है

"कोई शख्स अपनी औरत को ना मारे, जैसे गुलाम को मरता है,

इहिया उल उलूम मे है

"हुज़ूर की आखरी वसीयत 3 बातो पर थी, और बार बार उन्हे ही दोहरा रहै थे, यहा तक की ज़ुबान मे तुतलाहट और कलाम मे आहिस्तगी आ गई, आपने फरमाया – नमाज़ को लाज़िम पकड़ो, नमाज़ को लाज़िम पकड़ो, और जिनके तुम मालिक हो उन पर उनकी ताक़त से ज़्यादा बोझ ना डालो, औरतो के मुआमले मे अल्लाह से डरते रहो, की ये तुम्हारे हाथ मे क़ैदी हैं, तुम ने उन्हे अल्लाह की अमानत के साथ लिया है, और अल्लाह के कलिमे के साथ उनकी शरमगाह को हलाल किया है,"

* **औरत के साथ हुस्न ए अख़लाक़ से पेश आओ**, और वो ये है की उससे तक़लीफ़ को दूर करो, हालते गुस्से वा गज़ब मे सब्र इख़्तियार करना हुस्ने अख़लाक़ है,

* **उनके साथ कुछ नर्मी से खेल कूद और खुश तबइ भी करे**, की ये औरत के दिल को खुश करने वाला है,
* **फ़ारूक़े आज़म का क़ौल है की** – आदमी को अपने घर मे बच्चे की तरह रहना चाहिए,
हज़रत ए लुक़मान का क़ौल है – अक़ल्मंद को चाहिए की घर मे बच्चे की तरह रहै बाहर मर्द की तरह (मुराद अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत करने वाला, मज़ाक करने वाला उसका दिल खुश करने वाला, नाकी हमेशा गुस्से वाला, मारने वाला)
***लुक़मा (खाना) मे एहतिदाल-** मर्द को चाहिए की ना तो बिला वजह तंगी कर ना फ़िज़ूल खर्ची करे,
***इल्म**- औरत को उसकी ज़रूरत के इल्म से आगाह करना भी उसके हाक़िम (आदमी) के ज़िम्मे है, इसी तरह हर फ़र्ज़ वाजिब का उसके वक़्त पर हुक्म देना और हर हराम से बचते रहने की ताक़ीद करना ठीक वैसे ही नाफरमान औरत को अदब सिखाए, मगर इस तरह के ये **“टेडी पसली टूटने ना पाए**” और ये हदीस भी ज़हन मे रहै”**औरतो के मुआमले मे अल्लाह से डरते रहो”**

तीन दिन से ज़्यादा औरत से ताल्लुक़ ना तोड़े, और मारने की ज़रूरत आए तो हल्की मार से मारे, वरना नाराज़गी ज़ाहिर करे, खाना, बिस्तर अलग करे, मगर ज़ुल्म या गुलाम की तरह ना मारे,
और जो औरत अपने शोहर का हक़ अदा करे तो उसके मुताल्लिक़ फरमाया - तबरानी मे है

“जो औरत खुदा की फ़र्माबरदारी करे, और शोहर का हक़ अदा करे, और उसे नेक काम की याद दिलाए, और अपनी इज़्ज़त और अपने माल मे खयानत ना करे, तो ऐसी औरत के और शहीदो के दरमियान जन्नत मे एक दर्जे का फ़र्क़ होगा,"

अबु नईम ने हज़रत अनस से रिवायत किया

“औरत जब पाँचो नमाज़े पढ़े, और माहै रमज़ान के रोज़ रखे, और अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे, और शोहर की फ़र्मा बरदारी करे, तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहै दाखिल हो”

तिरमिज़ी उम्मे सलमा से रावी

“जो औरत इस हाल मे मरी की उसका शोहर उससे राज़ी था वह जन्नत मे दाखिल होगी ,

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مأب

सुवाल 48

अगर हाथ मे चूड़ी या कुछ ना पहने हो तो पानी मकरूह हो जाता या नही और बिना हाथ मे कुछ पहने वज़ु और नमाज़ हो जाती है

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

औरत को बिना ज़ेवर रहना मकरूह है, मगर उसके हाथ का पानी जाइज़ और वज़ु नमाज़ भी हो जाएगी, मगर बिना ज़ेवर नही रहना चाहिए कुछ ना कुछ ज़रूर पहने, और ना पहनना मर्दो से मुशाबेहत है, हदीस मे है 'یَا عَلِیُّ مُرْ نِسَاءَ کَ لَا یُصَلِّیْنَ عُطُلًا' (ए अली अपने घर की औरतो को हुक्म दो की बे-ज़ेवर नमाज़ ना पढ़े)

आला हज़रत इमाम ए इश्क़ ओ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फतावा रज़वीय्या जिल्द: 22 सफह:127 फरमाते हैं

“(औरत को) बिल्कुल बे-ज़ेवर रहना मकरूह है, की मर्द से मुशाबेहत है”
और हज़रत आएशा औरतो को बे-ज़ेवर नमाज़ को मकरूह जानती और फरमाती - (ज़ेवर मे) कुछ ना पाओ तो एक डोरा(धागा) ही गले मे बाँध लो”

और इसी तरह मेहन्दी लगाना औरतो को लिए सुन्नत है, यहा तक की हाथ बे-मेहन्दी ना रखे, की औरत के बे-मेहन्दी रहना भी मर्द से मुशाबेहत है,

और हदीस मे हुज़ूर ने एक सहाबिया को बैत करने से पहले फरमाया “हम तुमको बयेत ना करेंगे जब तक के तुम अपने हाथो मे तब्दीली ना लाओ”

(यानी उस ख़ातून के हाथ बे-मेहन्दी के थे, मतलब तुम्हारे हाथ मर्द की तरह सफेद है, इनमे मेहन्दी से रंग करो फिर बयेत करो, इससे मालूम हुआ की औरतो को मर्द की तरह चिट्ठे हाथ रखना मकरूह है,)

मीरात शरह मिश्कात

लिहाज़ा ख़वातीन को चाहिए की कुछ ज़ेवर चूड़ी, कड़े, बुन्दे वगेरा ज़रूर पहने रहै (मगर ज़ेवर की आवाज़ ग़ैर मर्द को ना जाए, और अगर पायल मे घुंगरू हो तो उस झांझर को तोड़ दे ताकि आवाज़ ना हो,) और कम से कम नाख़ून पर ज़रूर मेहन्दी लगाए, वरना पूरे हाथ पर, ताकि हदीस पर अमल हो जाए, (अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे)

والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب

सुवाल 49

नूर नामा पढ़ना कैसा है, हमारे यहाँ की ख़वातीन हर ज़ुमुआ को पढ़ती है क्या ये जाइज़ है ? कोई किताब की दलील दीजिए ताकि में बता सकूँ, बराए करम

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

पता नही आप किस किताब नूर नामा की बात कर रहै है, क्यूंकी हो सकता है की अब कोई नई और सही रिवायत के साथ शाया हो चुकी हो और अगर एक छोटी किताब नूर नामा जो काफ़ी पुरानी औरतो मे मशहूर है तो उसका पढ़ना सुनना दुरुस्त नही, परहैज़ चाहिए ऐसी महफ़िलो मे जाने से भी, इसकी जगह, मन्नत, हाजत के दीगर अवराद ओ वज़ाइफ़ की तिलावत करनी चाहिए और घर मे खैर के लिए यासीन, वगेरा अच्छा है, मगर ये नूर नामा, 16 सय्यदो की कहानी वगेरा से बचना ज़रूरी है,

फतावा रज़वीय्या जिल्द: 26 सफह:610 पर है

رسالہ منظومہ ہندیہ کہ بنام نورنامہ مشہوراست روایتش بے اصل است

(हिन्दी ज़ुबान मे लिखा रिसाला नूर नामा के नाम से मशहूर है, इसकी रिवायत बेअस्ल है इसका पढ़ना जाइज़ नही)

फतावा फाक़ि ए मिल्लत जिल्द:2 सफह: 416 पर है

“नूर नामा किताब की रिवायत बेअस्ल है इसका पढ़ना दुरुस्त नही”

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب واللہ یرجع الیہ مآب

सुवाल 50

भाई वज़ू कर के जो अपपन जनमाज़ पर नमाज़ पढ़ते है तो जनमाज़ के उपर पानी भी लगता है तो मेने सुना है के वज़ू का पानी पाक नही होता ये ठीक है और अगर अपपन पौछले तो भी नही पौच्छना बोल के सुना था वज़ू कर के नही पौचना ज़रा बोलो आप

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام والرحمة الله
वज़ु का पानी पाक है जनमाज़ या कपड़े पर लगेगा तो नापाक नही करेगा, और जिससे पानी को आपने नापाक सुना बोलके वो गलतिच पर है, अब रहा ये की अपपन लोग जो वज़ु करके हाथ मुँह खुश्क करते, वैसा करना चाहिए की नही तो बेहतर ये है की पूरी तरह खुश्क ना करे, बल्कि पानी की तरी रहने दे, हदीस मे आया की "मेरे उम्मतीओ के आज़ा, वज़ु की वजह से सफेद होंगे" और **मुफ़्ती अमजद अली साहिब** वज़ु को पोछ्ने को मना किए बोलके, बहारे शरीअत बाबुल वज़ु जिल्द: 1 सफह: 300 पर है

आज़ा ए वज़ु बग़ैर ज़रूरत ना पोछे और पोछे तो बेज़रूरत पूरा खुश्क ना करे.

और इसी तरह आलाहज़रत भी अपपन सुन्नी लोगा को वज़ु का पानी खुश्क करने से मना किए बोलके,

फतावा रज़वीय्या जिल्द:1 सफह:317 पर है

बेहतर ये है की बे-ज़रूरत ना पोछे और ... और पोछे तो बे-ज़रूरत बिल्कुल खुश्क ना करले क़द्रे नम बाक़ी रहने दे,

हदीसे- पाक मे है की ان الوضوء يوزن

(ये पानी क़ियामत मे नेकी के पल्ले मे रखा जाएगा)

मगर, अगर मस्जिद मे नमाज़ के लिए जाना हो तो ज़रूर पानी को इतना खुश्क करे की मस्जिद मे इसके क़तरे ना गिरे की ये गुनाह है, इसी तरह फतावा रज़वीय्या जिल्द: 4 सफह:338 पर है

“मस्जिद मे उनका गिराना जाइज़ नही, बदन इतना पोछ कर की क़तरे ना गिरे, मस्जिद मे दाखिल हो”
واللہ سبحٰنہ وتعالٰی اعلم

सुवाल 51

क्या नाबालिग बच्चे को सोने चाँदी के ज़ेवर जैसे चेन, लोकित अंगूठी वग़ैरा पहना सकते है या नही

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

अगर बच्चे से मुराद लड़का है तो सिर्फ़ चाँदी की सवा चार माशा की अंगूठी के सिवा कुछ भी जाइज़ नही, और लड़की है तो सोने चाँदी मे सब जाइज़ है, और बच्चे (लड़के) को जिसने पहनाया वो गुनहगार होगा, मसलन औरत ने पहनाए तो वो गुनहगार, और मर्द ने क़ुदरत रखने के बा-वजूद ना रोका या खुद भी राज़ी था तो वो भी गुनहगार इसी तरह **मुफ़्ती अमजद अली** साहिब ने बहारे शरीअत जिल्द:3 सफह:428 पर लिखा है

“लड़को को सोने चाँदी के ज़ेवर पहनाना हराम है, और जिसने पहनाया वो गुनहगार होगा”

मिश्कात शरीफ की हदीस मे है – हज़रत मालिक ने फरमाया – मुझे खबर पहुँची है, की हुज़ूर ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया, तो मे इसे बड़े, छोटे मर्दो के लिए नापसंद करता हूँ,

इस हदीस की शरह ब्यान फरमाते हुए **मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी** साहिब मीरात शरह मिश्कात जिल्द:6 सफह:135 पर फरमाते हैं-

“यूँ ही चाँदी भी छोटे बच्चो लड़को को ना पहनाई जाए, सिवा सवा चार माशा की अंगूठी के, खुलासा ये है की सोने चाँदी का ज़ेवर बालिग़ मर्दो

की तरह, नाबालिग़ लड़को को पहनाना हराम है, मगर इसका जुर्म पहनाने वाले अज़ीज़ों पर होगा, की नासमझ बच्चे शरई अहकाम के मुकल्लफ नही,

والله سبحانه وتعالی أعلمُ بالصواب

सुवाल 52

हज़रत कल मेरे पास एक sms यह आया (तुम तीन तलाक़ देकर ही मानोगे तब बुरा मत मानना जब हमारी कोई बहन या बेटी हो) हज़रत ऐसे कोई जवाब दीजिए जिससे उन्हे एक दम साफ हो जाए की शरीअत मे सब हक़ और बरहक़ और क़यामत तक हक़ रहैगा. हज़रत जिन्हो ने यह बात कही वो मेरे टीचर भी रहै है इंग्लीश और एकनामिक सब्जेक्ट के और इन्हे इस्लाम की भी नालेज है.

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इस्लाम को समझने के लिए जो लोग मुसलमान अवाम को देख कर दीन और इस्लाम का अंदाज़ा करते है की शायद इस्लाम यही है तो वो बहुत बड़ी खता पर हैं, इस्लाम को जानने के लिए आलिमो की ज़रूरत दर-पेश होती है, खुद कोई इंग्लीश या एकनामिक का टीचर भी अपनी अक़ल से इस्लाम को नही समझ सकता, मैं इन टीचर साहब से इतनी बात पूछना चाहता हूँ, की आप ने ईको. की पढ़ाई खुद ईको. के टीचर्स या स्टूडेंट को देख देख कर या बुक देख कर ली, या फिर आपको बा-क़ायदा इसके क़ायदे क़ानून किसी ईको. के जानने वाले ने सिखाए और समझाए ? अगर आपका जवाब है की बुक देखने या ईको के स्टूडेंट को देखने से ईको नही आ जाती बल्कि ईको के जानने वाले के पास रूजू करना पड़ता है

फिर बुक को वो समझाता है तो फिर, इन साहब ने इस्लाम या तलाक़ को लोगो से सुन कर कैसे मान लिया, क्या ये किसी आलिमे दीन के पास गये ? या किसी आलिम ने इनसे कहा की **"हम तलाक़ पर राज़ी है"** 3 तलाक़ के मसले को जो आज हवा दी जा रही है उसे पेश करने का अंदाज़ ग़लत है, और जो बात सुवाल मे कही की **"हम 3 तलाक़ पर राज़ी है"** ये आपके टीचर का महैज़ इल्ज़ामे बे- बुन्यादी है, ये अपनी क़ौल को साबित नही कर सकते की मुसलमान इस पर राज़ी है,

मसअला ये है की, हम 3 तो 3 एक तलाक़ पर भी राज़ी नही इसका मतलब ये है की हम ये बात पसंद नही करते की कोई शख्स गुस्से या जज़्बे मे आ कर तलाक़ दे और किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ऐसा ना तो अल्लाह को पसंद ना उसके रसूल को ना इसकी ताइद कोई आलिम करता है, अगर Govt. कोई तब्दीली चाहती है, तो ऐसे लोगो के लिए ज़रूर कोई क़ानून पास करे, जो शादी जैसे अज़ीम रिश्ते को मज़ाक बनाते है और तलाक़ देते है, हम इस हरकत के ज़रूर खिलाफ हैं, और हर अक़ल वाला इसे पसंद नही करेगा, "**मगर हक़ ये है की बिल फ़र्ज़ अगर किसी ने अपनी जहालत मे आ कर तलाक़ दे दी तो तलाक़ हो जाएगी"**

अब रहा गवरमेंट. का कहना की तलाक़ नही होगी ? तो दीन किसी पार्लियामेंट की देन नही की वो उसमे फिर से तब्दीली कर दे की, तलाक़ कब और कैसे होगी उसके क़ायदे क़ानून क़ुरआन हदीस से तय हो चुके हैं, अगर कोई बाद तलाक़ साथ रहता है तो **क़ियामत मे ज़िना करने वालो मे होगा**, इसकी एक मिसाल आपको समझाता हूँ, एक फॅक्टरी चाकू तैयार करती है, जिससे घरो मे सब्ज़ी काटी जाए, अब अगर कोई उस चाकू का इस्तेमाल करके किसी का गला काट दे तो, ये उसका ज़ाति फेल

होगा, सज़ा उसके लिए ते की जाएगा ना की चाकू की फॅक्टरी बंद की जाएगी? किसी अक़्ल वाले पर इसका जवाब हो, वही तलाक़ का जवाब होगा, की तलाक़ देने वाला ग़लत करता है, मगर तलाक़ हो ही जाएगी, जिस तरह गला कट जाने के बाद, मुर्दा को ज़िंदा नही किया जा सकता बल्कि उस क़ातिल के बारे मे एक्शन लेना होगा ठीक वैसे ही, तलाक़ के बाद, शरई तोर से मर्द औरत साथ नही रह सकते, अब रहा ये की औरत पर ज़ुल्म, तो अक्सर मैंने देखा की औरत के हुक़ूक़ की वही लोग ज़्यादा बात कर रहै है, जो अपना इतिहास भूल चुके, किसी बेवक़ूफ़ को इस्लाम के उसूल और हक़ ब्यान करने की हाजत है ही नही क्यूंकी इस्लाम ने जिस जिस के हक़ ब्यान कर दिए वो हक़ पूरी दून्या के किसी मज़हब मे नही, औरत तो औरत, इस्लाम ने तो 1 दिन के बच्चे के हक़. पड़ोसी का हक़, काफ़िर का हक़, सब ब्यान कर दिया, जो आज औरत के हुक़ूक़ की बात करते हैं, क्या औरतो को शोहर के मरने बाद चिता पे ना जलाया **इस्लाम ने इस मौत को रोका**, क्या औरत को पैदा होने के बाद ज़िंदा दफ़न नही किया जाता था, **इस्लाम ने इस क़तल को रोक कर औरत को हयात बख़्शी,** क्या औरत को विरासत से महरूम ना रखा गया, **इस्लाम ने उसके भी हक़ उसे दिलवाया,** क्या बेवा औरत को मनहूस ना समझा गया, **इस्लाम ने उसे फिर से निकाह के बाद आबाद किया**, किया औरत की पैदाइश पर गमो के इज़हार ना किए गये, **इस्लाम ने लड़की की परवरिश पर जन्नत की बिशारत दी**, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हू की जिसका दिल हो लास्ट 1 साल की न्यूज़ पेपर देखे जिसमे बाप ने बेटी के साथ बलात्कार किया हो, या भाई ने बहन के साथ, आप वो सारे मामले ग़ैर मुस्लिम के ही पाएँगे, इसमे मुसलमान के घर का 1%

मामला नही होगा, अब अगर इसी बात को बुनियाद बना कर मैं इन टीचर से कहूँ की, “हिंदू धरम बेटी से बलात्कार की इजाज़त देता है ?? तो यक़ीनन इन टीचर का यही जवाब होगा की नही, ऐसे काम की इजाज़त कोई धरम नही देता ये उस का अपना काम है, तो फिर इस्लाम के लिए ये कैसे ते हो गया की तलाक़ को इस्लाम या मुस्लमान पसंद करता है? जिनके घर मे खुद की बेटिया महफूज़ नही वो मुसलमान की औरतो के हक़ूक़ की बात करते हैं, ये तो वही हुआ की **900 चूहै खा कर बिल्ली हज को चली,** औरत को हुक़ूक़ के लिए आवाज़ उठाने वालो को चाहिए, की पहले अदालत का जायज़ा लें, की तलाक़ के कितने मसले आपकी अदालत मे मुसलमान के है और कितने ग़ैर मुस्लिमो के इसके साथ आपको सच, सूरज की तरह रोशन हो जाएगा, लिहाज़ा चाहिए की पहले अपनी क़ौम की औरतो के वो लाखो केस क्लियर करके उनके साथ इंसाफ़ कर दो, मुसलमान को अपने शरई मसाइल मे किसी अदालत की हाजत नही उसके लिए आज भी उलमा काफ़ी है, और अल्लाह के फ़ज़ल से जितने मसअले उलमा हज़रात हल करके अंजाम तक पहुंचा देते है, **उससे कही ज़्यादा आज तक आपके कोर्ट मे पेंडिंग** है, जिसे ना आज तक अदालत निपटा सकी, ना उन्हे इंसाफ़ मिला, उन पेंडिंग मामलो को ख़तम करने पर गौर करोगे तो आपकी क़ौम को कुछ राहत मिलेगी, मुसलमान 3 तलाक़ को ना-पसंद करता है, और जहा तक मुमकिन हो घर का मामला आखरी कोशिश तक सुलझाना चाहिए, यही तालीम इस्लाम की है, इस्लाम घर बसने पर ज़ोर देता है, इसीलिए बिधवा को निकाह की इजाज़त है, ना की मरने की, फिर भी कोई अपनी जहालत से अपना घर तोड़ दे तो उसमे शरीअत का कोई दोश नही, ज़ेहर खाने वाला

अपनी मौत का खुद ज़िम्मेदार है, खाएगा तो मरना ते है, मगर ज़ेहर तय्यार करने वाले इसकी इजाज़त नही देते की कोई खाए, शरीअत तब्दील नही हो सकती, आज भी मुसलमान अपने तलाक़ के मसअले पर उलमा से फ़तवा लेते है और लेते भी रहेंगे, अदालत मे जाने वालो की तादाद बहुत ना के बराबर है, छुरी आपके पास है, ज़ेहर आपके पास है, सही इस्तेमाल करो या ग़लत, मगर ग़लत इस्तेमाल करने वाला खुद मौत का ज़िम्मेदार है, ना की छुरी की फॅक्टरी या ज़ेहर बनाने वाला, चाहै मौत ज़ेहर से साबित हो जाए तब भी ज़ेहर के फ़ॉर्मौले मे कोई तब्दीली नही हो सकती, लिहाज़ा आपके टीचर का ये बेजा इल्ज़ाम है की मुसलमान तलाक़ पर राज़ी है, **हक़ ये है की मुसलमान तलाक़ को हक़ समझता है, मगर इस पर खुश और राज़ी नही"**

والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب

सुवाल 53

हज़रत सवाल है की अगर घर मे नमाज़ पढ़ रहै हो और 2, 3 साल का बच्चा अगर सीडीयो से गिर जाए, या किसी तरह ज़्यादा लगे, चिल्लाए ,रोए, तो उस वक़्त अगर कोई और ना हो तो, क्या नमाज़ तोड़ कर जा सकते है, या क्या करना चाहिए ? वजाहत कर दे तो मेहरबानी होगी,

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जो सूरत सुवाल मे ब्यान की, की 2-3 साल का छोटा बच्चा ज़ीने से गिर जाए, तो उसके लिए नमाज़ तोड़ सकते है, और अगर ज़ीने से अभी गिरा तो नही, मगर उस तरफ जा रहा है और खोफ़ है की ज़रूर गिर जाएगा, और बचाने वाला कोई नही, और नमाज़ी ने देख लिया तो उसे बचाने के

लिए **गिरने से पहले भी नमाज़ तोड़ सकता है**, बल्कि अगर ये मामला ऐसे ऊँचे ज़ीने पर हो की यक़ीनन मर जाएगा तो नमाज़ तोड़ना वाजिब है,

सद्र उस शरीया हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह: 637 पर लिखते हैं,

“कोई मुसीबत ज़दा फर्याद कर रहा हो, इसी नमाज़ी को पुकार रहा हो, या मुतलक़न किसी को पुकार रहा हो, या कोई डूब रहा हो, या आग से जल जाएगा, इन सब सूरतो मे नमाज़ तोड़ देना वाजिब है, जबकि ये बचाने पर क़ादिर हो,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह: 637 पर है,

“अपने या पराए एक दिरहम के नुक़सान का ख़ौफ़ हो, मसलन- दूध उबल जाएगा या गोश्त या तरकारी रोटी वग़ैरा जल जाने का ख़ौफ़ हो या एक दिरहम की कोई चीज़ चोर ले भगा, इन सुरतो मे नमाज़ तोड़ देने की इजाज़त है”

लिहाज़ा जान का नुक़सान या आज़ा (पार्ट ऑफ बॉडी) का ज़ाया हो जाना माल से क़ीमती है, लिहाज़ा बच्चे के ज़ीने से गिरने पर या गिरने से पहले भी नमाज़ तोड़ी जाएगी,

واللہ تعالٰی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

सुवाल 54

क्या हमे गुसल के बाद दुबारा वुजू करना चाहिए ? नमाज़ के लिए,

जवाब بسم اللہ الرحمن الرحیم

वज़ु, गुस्ल मे शामिल है, जिसने गुस्ल किया उसका वज़ु भी हो गया,

लिहाज़ा आपको गुस्ल के बाद वज़ु करने की ज़रूरत नही, और हदीस मे

भी इससे मना फरमाया है, फरमाया हुज़ूर ने की **“जो गुस्ल के बाद वज़ु करे वो हम मे से नही”** (लिहाज़ा गुस्ल के बाद जब तक वज़ु ना टूटे नमाज़ के लिए वज़ु की हाजत नही)
وهُو تعالىٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 55

क्या बाप अपनी बेटी और शोहर अपनी बीवी को नमाज़ पढ़ने को कहै या पर्दा करने को कहै पर वो कभी तो हुक्म माने और कभी नही तो ऐसे मे शोहर गुनहगार होगा या फिर शोहर को अपनी बीवी को तलाक़ देना वाजिब है क्या बीवी और बेटी बात ना माने फिर वो शख्स की कोई इबादत क़ुबूल नही.

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जो सूरत आपने ब्यान फरमाई है उसमे तलाक़ देना वाजिब नही, इन मर्दो को चाहिए की इनसे नाराज़गी ज़ाहिर करे, यानी शोहर अपना बिस्तर अलग कर लें, ना साथ खाए ना पिए, और ज़रूरत हो तो हल्की मार से मार भी सकता है, की बदन पर निशान ना पढ़े, की मर्द औरत का हाक़िम है और गुनाह से रोकने पर क़ादिर भी होता है, लिहाज़ा गुस्से और सख्ती से भी काम लिया जा सकता है, ताकि नमाज़ की पाबंद बने और शरई पर्दा करे, और ये इस सूरत मे मुमकिन होता है जब शोहर खुद भी शरीअत का पाबंद होता है, नमाज़ वगेरा पढ़ता है और घर मे टीवी जैसा फितना नही होता, क्यूंकी गाना, दिल मे निफाक पैदा करता है,

इहिया उल उलूम जिल्द:2 सफह:182 पर है

“अगर सरकशी ख़ासतोर पर औरत की तरफ से हो मर्द अफ़सर है औरत पर, उसे इख्तियार है की वो उसको अदब सिखाए, और ज़बरदस्ती उसे

इता'अत पर मजबूर करे, इसी तरह अगर औरत नमाज़ ना पढ़ती हो तो भी मर्द को इख्तियार है की वो उसे ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने पर मजबूर करे,

والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب

सुवाल 56

हज़रत, मेरा सवाल है के शोहर अपनी बीवी से कितने दिन दूर रह सकता है जैसा की आज कल देखा जाता है शोहर रोज़ी कमाने के लिए शहर से दूर जाते है और महीनो घर नही आ पाते बाज़ तो सालो तक नही आते ऐसे मे शोहर गुनहगार होगा या नही हज़रत जवाब हवाले के साथ बताइए

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर इस दूरी पर दोनो राज़ी हैं, और औरत भी राज़ी है की शोहर बाहर कमाए तो फिर कोई गुनाह नही, ना शोहर पर ना बीवी पर, और बीवी राज़ी नही, तो बेहतर ये है की ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह मे मुलाक़ात कर लिया करे, मंक़ूल है - **कोई शोहर बीवी से 4 माह से ज़्यादा अरसे के लिए ग़ायब ना हो**

जाहिल सूफियो को आदाबे तरीक़त सिखाने वाले उम्मत के वाली यानी हुज्जत अल इस्लाम हज़रत इमाम ग़ज़ाली इहिया उल उलूम जिल्द:2 सफह:186 पर फरमाते हैं

"मर्द को चाहिए की हर 4 रातों मे एक मर्तबा औरत से सोहबत करे, इसमे ज़्यादा अदल है" (अगले सफह पर फरमाते हैं) "और इस मुद्दत मे औरत की हाजत के मुताबिक़ कमी बेशी की जा सकती है"

والله تعالٰی اعلم

सुवाल 57

साहब एक सुवाल ज़हैन मे गर्दिश कर रहा है, जवाब अता फरमाएँ, सुवाल ये है की, तलाक़ देने का हक़ मर्द को दिया गया है, हालाकी, निकाह मर्द औरत दोनो की रिज़ामंदी से होता है, तो फिर औरत को ये इख़्तियार क्यूँ नही की वह भी जब चाहै इसको ख़तम कर सके

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत मे मक्कारी मर्द से ज़्यादा होती है इसमे कोई शक नही, और फिर, हदीस कहती है, की औरत शैतान का हथियार है, अक़्ल से नाक़िस (अधूरी) है, लिहाज़ा अल्लाह के फैसले हिकमत वाले हैं, अगर औरत को मुक़म्मल इख़्तियार दिया जाता तो क्यूंकी ये शैतान का हथियार है, तो ज़ाहिर है शैतान इन्हे जल्द बहका देता और घर बर्बाद करवा देता फिर एक शहवते नफ़स औरत मे मर्द से 100% ज़्यादा होती है, अगर इन्हे इख़्तियारे तलाक़ दे दिया जाए तो हर हफ्ते नया मालदार शोहर तलाश करके निकाह कर लें, क्यूंकी इसमे शक नही के जिस दौर मे हम है, उसमे औरतो की अक्सरीयत फेशन पसंद है, और ज़ेवर, कपड़ा, मेकप की बुन्याद पैसा है, फिर औरत मे दिखावे का एक कीड़ा और होता है, किसी का नया महंगा सूट देख कर, उससे अच्छा लाने की तलब, और **क्यूंकी क़ुरआन ने मर्द को हाकिम बनाया है**, तो हाकिम उसी सूरत मे क़रार पाएगा की हक़ उसको दिया जाए, वरना मर्द औरत का गुलाम हो जाएगा, फिर औरत तलाक़ की धमकी दे कर हर काम शोहर से करवा लेगी, आज ही देख लो, तलाक़ का हक़ नही है, फिर भी, अगर नया सूट, चप्पल, ज़ेवर चाहिए होता है तो कैसे कैसे चाल चल कर जाल बुना जाता है, फिर

पावर होगी तो अल्लाह की पनाह, जैसे गंजे को नाख़ून, फिर हाल ये होगा की, “इस महीने 4 सूट बन जाने चाहिए वरना तुम्हे तलाक़ दे दूँगी”, वगेरा वगेरा, ये तो था दलायल ए अक़लिया, और नफ़स ए मसअला, ये है की, **शरीअत मे औरत को भी तलाक़ देने का हक़ है**, लिहाज़ा ये कहना दुरुस्त नही की औरत को क्यूँ हक़ नही,? फ़र्क़ ये है की, औरत अहकाम से वाक़िफ़ नही, अगर कोई मर्द औरत को तलाक़ का इख़्तियार दे दे, तो औरत खुद को तलाक़ दे सकती है, ये भी शरीअत मे मौजूद है, मगर मर्द को चाहिए की इख़्तियार ना दे, वरना जो सूरत उपर ब्यान हुई पेश आने का ख़ौफ़ हैं

बहारे शरीअत जिल्द: 2 सफह: 134 पर है

“औरत से कहा तुझे इख्तियार है या तेरा मामला तेरे हाथ, और इससे मक़सूद तलाक़ का इख़्तियार देना है, तो औरत उस मजलिस मे अपने को तलाक़ दे सकती है, अगर शोहर ने वक़्त मुक़र्रर कर दिया था मसलन, आज उसे इख़्तियार है (की खुद को तलाक़ दे दे) और वक़्त गुज़रने के बाद औरत को इल्म हुआ (की मेरा वक़्त आज का था गुज़र गया) तो अब कुछ नही कर सकती”

नोट – याद रहै इस मसअले मे वक़्त, मजिल्स, इख़्तियार बातिल, वगेरा होने की बहोत तफ़सील है, लिहाज़ा इस जवाब को इस मौज़ू पर मुकम्मल तसवउर ना किया जाए, तहरीर मे बताने का मक़सद फक़त इतना है की तलाक़ का हक़ औरत को भी हो सकता है, अगर मर्द दे दे, और मेरे इस कलाम मे कुछ तल्ख़ बाते शामिल है, लिहाज़ा ख़वातीन बुरा ना माने, ये सब के लिए नही मगर जो ऐसी हैं,

واللہ تعالٰی اعلم

सुवाल 58

क्या फरमाते है उलमा किराम इस मसअले मे की बकर और हिंदा के पहले नाजाइज़ ताल्लुक़ात थे यानी लव स्टोरी अब दोनो की शादी दूसरी जगह पर हो गयी है और बकर अक्सर नमाज़ के बाद हिंदा से निकाह करने की दुआ माँगता है तो क्या इस तरह शादीशुदाह औरत के लिए इस तरह से दुआ माँगना जाइज़ है या नही और अगर है तो कोई वज़ीफ़ा बताए और नाजाइज़ है तो बकर पर शरीअत का क्या हुक्म है मक़सूद आलम रज़वी खवजा नगर पंतोड़ा गुजरात

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

शादीशुदा औरत की तलब या दुआ गुनाह के लिए दुआ है की जब औरत पहले से निकाह मे है तो दूसरे मर्द के लिए हराम है और हराम चीज़ के लिए दुआ भी गुनाह है.

फ़ज़ाईले दुआ सफह:176 पर है

गुनाह की दुआ ना करे की पराया माल मिल जाए, या कोई फाहिशा ज़िना करे, की गुनाह की तलब भी गुनाह है.

وهُو تعالىٰ أعلمُ بالصـواب

सुवाल 59

क़ज़ा नमाज़ का तरीक़ा बताए, जिसके ज़िम्मे बहुत सारी हो, जैसे ज़ैद की उमर 21 साल है और उसे याद नही है कितने नमाज़े क़ज़ा करे वो लेकिन जितना पता है बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ है उसके जवाब तफ़सील से बताए. ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

नमाज़े क़ज़ा अदा करने का तरीक़ा,

क़ज़ा नमाज़ अगर याद ना हो की पिछली ज़िंदगी मे कितनी रह गई, तो जब से बालिग हुआ जब से अब तक, या जब से नमाज़े शुरू की है वहाँ तक के साल का अंदाज़ा लाया जाए, अगर ये याद नही की कब बालिग हुए तो **लड़का 12 साल से अंदाज़ा लगाए लड़की 9 साल से**, यानी अगर ज़ैद ने 21 साल मे नमाज़ शुरू की (इससे पहले क़ज़ा करता था या करती थी,) तो, 12 से 21 साल तक यानी 9 साल की नमाज़ क़ज़ा हुई और लड़की (अगर 20 साल की है तो) की 9 से 20 यानी 11 साल की नमाज़ ज़िम्मे बाकी हुई, हम इसी मिसाल की बुनियाद पे आगे ज़िक्र करते हैं, मसलन ज़ैद की 9 साल की नमाज़ क़ज़ा हैं तो …

एक साल मे दिन 365 यानी एक साल मे 365 नमाज़ क़ज़ा हुई, वो भी हर एक वक़्त की (यानी 365 फज्र, 365 असर वगेरा वगेरा)

9 साल मे 9 X 365 = **3285 नमाज़े क़ज़ा हुई**, वो भी एक वक़्त की, यानी, 3285 फज़र क़ज़ा, 3285 ही ज़ोहर क़ज़ा, 3285 ही अस्र और मगरिब क़ज़ा, 3285 ईशा और वित्र क़ज़ा, ये हुक्म लड़के के लिए है.

लड़की हर माह मे नापाकी के दिन को कम करेगी, मसलन 4-6 दिन हर माह नापाक रहती है तो हर माह से 4 दिन (यानी कम वाले दिन) कम करे तो उसके लिए हर महीने 26 नमाज़ क़ज़ा है, जबकि लड़के के लिए पूरी 30,

8 साल क़ज़ा करने वाली लड़की की क़ज़ा नमाज़

एक माह मे दिन 30 मगर 4 दिन नापाकी के हटाए तो दिन बचे 26 एक साल मे 26 X 12 = 312 (यानी एक साल मे 312 नमाज़ क़ज़ा हुई, वो भी एक वक़्त की) 8 साल मे दिन 312 X 8 = **2496**, वो भी एक वक़्त

की यानी, 2496 फ़ज़र क़ज़ा, 2496 ही ज़ोहर क़ज़ा, 2496 ही अस्र और मगरिब क़ज़ा, 2496 ईशा और वित्र क़ज़ा, (और ये 4 दिन मिसाल के तोर पर कम किए गये,)

हर लड़की या औरत अपने नापाकी के दिन कम से कम वाले खुद अंदाज़े से घटाए, हो सकता हो किसी के 6 दिन हो, तो वो 6 हर माह कम करे)

अब इस क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का आसान और शॉर्ट तरीक़ा,

सबसे आसान और बेहतर तरीक़ा है की पहले एक ही वक़्त की नमाज़ अदा करे यानी पहले सभी फज्र पढ़ ले फिर इस तरह पूरी होने पर अगली (ज़ोहर) पढ़े, यानी जब भी क़ज़ा नमाज़ पढ़े तो पहले फज्र ही की क़ज़ा पूरी करता रहै, जब तक पूरी ना हो जाए,

क़ज़ा नमाज़ की नियत कैसे करें, - इसके दो तरीक़े है (जिस तरह चाहै पढ़े,)

1- नियत की मैने 2 रकाअत नमाज़ फज्र क़ज़ा जो मुझसे **सबसे पहले क़ज़ा हुई** वास्ते अल्लाह के......... अल्लाहू अकबर

2. नियत की मैने 2 रकाअत नमाज़ फज्र क़ज़ा जो मुझसे **सबसे आखरी क़ज़ा हुई** वास्ते अल्लाह के......... अल्लाहू अकबर

(जिस वक़्त की पढ़े वही नाम ले, ज़ोहर, अस्र वगेरा) नियत बाँधते ही सबसे पहले सूरह फातिहा शुरू कर दे, (यानी सना वगेरा छोड़ दे) फिर सूरत मिलाए फिर रुकु मे जा कर **1 बार तसबीह पढ़े**, और सजदे मे जा कर भी ए**क बार ही तसबीह पढ़े,** इसी तरह 2 रकाअत पढ़े और जब सलाम फेरने बैठे तो **अत्तहिय्यात** पूरी पढ़ कर, **اللهم صلى على محمد واله** पढ़े और सलाम फेर दे यानी **बाद वाली दुआ भी ना पढ़े**, इस तरह, ज़ोहर क़ज़ा की, अदा करता जाए, (4 रकाअत वाली मे आखरी की दो रकाअत

मे सुरेःफातिहा ना पढ़े बल्कि 3 बार **سبحان الله** कहै, और वित्र मे, तीसरी मे फातिहा और सूरत ज़रूर पढ़े और तकबीर कह कर, कुनूत ना पढ़े बल्कि 1 या 3 बार **رب اغفر لی** कह ले,

3 वक़्तों मे नमाज़े क़ज़ा अदा नही कर सकते, 1-ज़वाल के वक़्त, 2 तुलु ए आफताब के वक़्त, 3 मगरिब से 20 मिंट पहले तक, अस्र बाद क़ज़ा पढ़ सकते है, और जब मगरिब मे 20-25 मिंट. रह जाए तो ना पढ़े, क़ज़ा नमाज़ चुपचाप अदा करनी चाहिए, ना किसी को बताए, ना किसी के सामने अदा करे ना इसका ज़िक्र करे, और नमाज़ पढ़ता रहै कॉपी मे नोट रखे की कितने दिन की पढ़ ली,

واللہ تعالٰی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

सुवाल 60

औरत हैज़ या निफास मे थी के उसी दौरान शरई मुसाफिर हुई, और 92 किलो मीटर्स के बाद 15 दिन से कम नियत के साथ क़याम की और वही पाक हुई अब पाक होने के बाद क्या वो पूरी नमाज़ पढ़ेगी या क़सर करेगी

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

जहाँ हैज़ से पाक होगी, वहाँ से अगर आगे 92 किमोलमीटर जाना है तो क़सर पढ़े और अगर वही या 92 KM से के अंदर रुकने का इरादा है तो पूरी करे, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:744 पर है

“हैज़ वाली पाक हुई और अब से तीन दिन की राह ना हो तो पूरी पढ़े,”

واللہ تعالٰی اعلم

सुवाल 61

बहारे शरीयत मे गुसल के बयान मे लिखा है की "औरत अगर बालो का जूड़ा बनाया है तो बालो की जड़ तर कर लेना ज़रूरी है जूड़ा खोलना ज़रूरी नही" तो क्या अगर ढीला जूड़ा बांधा हो और जड़ तर हो जाए लेकिन बाकी के बाल मे कुछ खुश्क रह जाए तो गुसल हो जाएगा बराए माहैरबानी इरशाद फर्मा दे जज़कल्लाह

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर औरत के सर के बाल गूँधे हैं, तो बाल खोल कर बाल की नोक तक पानी बहाना ज़रूरी नही, सिर्फ़ जड़ तक पानी पहुचना काफ़ी है, और गूँधे ना हो तो पूरे बाल धोना ज़रूरी है हाँ, अगर मर्द ने जूड़ा बांधा है तो जूड़ा खोल कर बाल मुक़म्मल धोना फ़र्ज़ है, अव्वल तो मर्द को जूड़ा बांधना ही हराम है, इसी तरह बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:317 पर है

“सर के बाल गूँधे ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना (फ़र्ज़), और गूँधे हो तो मर्द पर फ़र्ज़ है की उन्हे खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाए, औरत पर सिर्फ़ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नही, हाँ, अगर जुड़ी/जुड़ा इतना सख़्त गुँधा हो की बिना खोले जड़ तर ना होगी, तो खोलना ज़रूरी है”

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 62

क्या फरमाते है उल्माए किराम इस मसअले मे की अक्सर औरतें बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज़ पढ़ती है तो क्या उनकी नमाज़ होती है या नही रहनूमाई फरमाएँ

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इसमे दो सूरत हो सकती है, **अव्वल** ये की दुपट्टा तो इतना बारीख है की बालो की सियाही नज़र आ जाए मगर उसके उपर या नीचे दूसरा ऐसा कपड़ा भी पहना है जिससे बाल की रंगत नज़र नही आ रही तो इस सूरत मे नमाज़ बिला कराहत जाइज़ होगी, **सूरत दोम**, अगर दुपट्टा बारीक है, और कोई दूसरा कपड़ा भी नही की सर पर ढक सकते इसी सूरत नमाज़ पढ़ी की सर की सियाही नज़र आ रही है तो ये नमाज़ ना होगी, बलके इसे उठक बेथक कहा जाएगा, नमाज़ उनकी शराइत को पूरा करते हुए पढ़ना है नाकी अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहै पढ़ लें, कोई भी औरत अल्लाह पर एहसान नही कर रही नमाज़ पढ़ कर, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:481 पर है

“इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की सियाही चमके, औरत ने ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी (नमाज़) ना होगी, जब तक उस पर कोई ऐसी चीज़ ना ओढ़े, जिससे बाल वगेरा का रंग छिप जाए,”

واللہ تعالٰی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

सुवाल 63

ज़ैद यह कहता है को "जो औरतें ये कहती है के दिल का पर्दा होना चाहिए यानी दिल सॉफ होना चाहिए वो ईमान से खारिज़ है” (जो ईमान से खारिज़ हो, उसका निकाह, मुरीद थी तो बैत, हज किया तो हज ख़तम यानी गुजिश्ता ज़िंदगी के सारे नेक आमाल ख़तम हो जाएँगे, और दलील यह देता है की, हुज़ूर सललाल्लाहू अलैही वा सल्लम ने फरमाया के जो औरत मर्दाना लिबास पहने उस पर अल्लाह की लानत हो, और जिस पर अल्लाह की लानत हो उसकी नमाज़, रोज़ा, हज ज़कात सब बेकार है"

सवाल यह है की क्या ज़ैद का कहना सही है.? और उस औरत का क्या हुक्म है रहनुमाई फरमाएँ

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जो जिस्म के पर्दे का पूरी तरह इनकार करे, यानी फ़र्ज़ीयत से इनकार करे, और कहै सिर्फ़ दिल का पर्दा है **उसका ईमान जाता रहा**, मगर ऐसा कहने के बावजूद ये औरत निकाह से ना निकली, और ना उसे जाइज़ की बादे इस्लाम किसी दूसरे से निकाह करे, लिहाज़ा बाद इस्लाम **शोहर ए साबिक़ा ही से तज्दीद ए निकाह को मजबूर की जाएगी**, तो ज़ैद का ये क़ौल ग़लत है की औरत के कुफ्रीया कॅलिमा के बाद निकाह ख़तम हो जाएगा, रहा मुरीद होना तो मुरीद होना चाहै तो दूसरे से हो सकती है, ये क़ौल बेकार है की दिल सही होना चाहिए बाहर कैसा ही हो, जाहिलो का नया जाल है, जो शरीअत की पाबंदी करने वालो को अक्सर कहते है की, दिल साफ होना चाहिए, नमाज़ से क्या होता है, दिल साफ होना चाहिए पर्दे से क्या होता है, ऐसे जाहिलो को मालूम होना चाहिए की हुज़ूर ने फरमाया – **जब दिल ठीक होता है तो ज़ाहिर खुद ठीक हो जाता है,** लिहाज़ा जो ज़ाहिर मे फासिक़ है, उसका दिल ठीक नही, बेकार की बाते हैं, (मज़ीद तफ्सील जवाब 1 में पढ़ें)

والله تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 64

सलाम, छोटी मदनी मुन्नियों के बाल काटना कैसा, और कितनी उम्र तक उनके बाल छोटे रख सकते है, आज कल जिस तरह कटिंग होती है लड़कों की मुशाबेहत जैसे होती है ऐसे मे क्या करे रहनूमाई फरमाइए

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

लड़कियो के बाल लड़के की तर्ज़ पर नही करवा सकते, कटवाने वाले गुनहगार होंगे, बालो की शेप लड़की की मिसल ही कटवाई जाए, और कपड़े भी लड़कियो वाले पहनाए जाएँ,

واللہ تعالٰی اعلم

सुवाल 65

लड़की ने लड़के को इस बात का वकील बनाया की वो अपने साथ उसका निकाह फ़र्मा ले और दोनो बालिग हैं और कुफु का भी मामला नही है, लड़का ने 2 गवाह के सामने महर के इक़रार के साथ ये कुबूल किया की मैने फूला लड़की जो मुझे अपना वकील बनाई है उसी वकालत पर अपनी निकाह मे फुला को लेता हूँ अपनी बीवी मे क़ुबूल करता हूँ, अब क्या ये निकाह हो गया

जवाब: بسم اللہ الرحمن الرحیم

अगर लड़का लड़की बालिग है, और कुफु की भी कोई क़ैद नही तो लड़की को वकील करने की ज़रूरत नही, दो गवाह के सामने शरई मेहैर के साथ अगर ये दोनो इज़ाब ओ क़ुबूल कर लेंगे तो निकाह सही हो जाएगा, इसी तरह

दूर्रे मुख़्तार जिल्द:1 सफह:191 पर है - نفذ نکاح حرۃ مکلفۃ بلا رضی ولی

(वली की इजाज़त के बग़ैर भी हुर्राह (आज़ाद) आक़िला बलीग़ा का निकाह नफिज़ है)

और पूछी गई सूरत मे भी निकाह सही हो जाएगा देखे

बहारे शरीअत जिल्द: 2 सफह:57

“औरत ने मर्द को वकील किया की तू अपने साथ मेरा निकाह कर ले, उसने कहा मेने फूला औरत से अपना निकाह किया निकाह हो गया”

अलबत्ता अगर औरत ने मुतलक़न वकील बनाया, अपने साथ निकाह करने को ना कहा तो खुद वकील अपने साथ निकाह नही कर सकता देखे फ़ताहुल क़दीर जिल्द:3 सफह:197 पर है

وكلته ان يزوجها مطلقا فانه لو زوجها من نفسه لايجوز

(अगर बालिगा ने किसी को कहा की मेरा निकाह कर दे, और कोई तख्सीर ना की (की किससे करना है), इस सूरत मे अगर उस शख्स ने औरत का निकाह खुद ही से कर लिया तो जाइज़ ना होगा)

وهُو تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 66

मेरा सवाल ये है हज़रत, के लाटरी यानी कमेटी डालना कैसा है वो भी बोली की जिसे कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठा लेता है और उसका फायदा आख़िर वाले को होता है तो मुझे ये पता करना है के क्या ये फायदा जो होता है क्या जाइज़ है कुछ लोग इसे नाजाइज़ कहते है रहनुमाई फरमाये

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

बोली वाली लाटरी जिसमे ये होता है की जिसे ज़रूरत है वो 1 लाख की रक़म 80 हज़ार मे ले ले बाकी 20 हज़ार दूसरे मेंबर्ज़ मे बांटे जाते हैं, जिसे उर्फ मे बोली की कमेटी कहा जाता है, **ये नाजाइज़ ओ हराम है,** और ये रक़म किसी के हक़ मे हलाल नही, जिसने आज तक इस तरह एक्सट्रा पैसे लिए होंगे वापस करना वाजिब है, कुरआन मे इसके खिलाफ हुक्म

मौजूद है- सुराह निसा आयात 29 मे है “ए ईमान वालो आपस मे एक दूसरे का माल नाहक (तरीक़े से) ना खाओ”

लिहाज़ा ऐसे कॉमेटी डालने से मुसलमानो को बाज़ आना चाहिए, आज कल देखा जा रहा है, इसका चलन आम होता जा रहा है, चन्द ज़्यादा सिक्को के खातिर खुद भी हराम खाते है, अपने बच्चों को भी हराम खिलाते है, क्या अब भी मुसलानो के लिए वो दिन ना आया की, हलाल तरीके से खाए और नेक अमल करें, क्या फिर पत्थरों की बारिश का इंतिज़ार है

والله تعالىٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 67

गुस्ल का पूरा तरीक़ा बताए तफ़सील से निय्यत कैसे करे दुआ कौनसी पढ़े लॅडीस और जेंट्स मे गुस्ल मे क्या फ़र्क़ है ये भी बताए ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इसकी तफ़सील के लिए आपको कोई रिसाला इस मौज़ू पर पढ़ लेना चाहिए, गुस्ल मे 3 फ़र्ज़ हैं, अगर वो सही से अदा हो जाए तो गुस्ल हो जाए,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:319 पर है

गुस्ल की नियत करना, फिर दोनो हाथ गट्टो तक धोना, फिर इस्तन्जे की जगह धोना, जिस्म पर जहाँ नजासत हो उसे धोना, नमाज़ का सा वज़ु करें (मगर पावं ना धोए), 3 बार दाएँ तरफ पानी बहाएँ, 3 बार बाएँ तरफ, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार, (इसके बाद साबुन शेम्पू

जो चाहै इस्तेमाल करे), और आख़िर मे पावं धोए, इसमे गुस्ल वज़ु दोनो हो गये,

मर्द औरत का एक ही हुक्म है, फ़र्क़ ये है की औरत को सर का जूड़ा खोलना ज़रूरी नही, सर की जड़ भीग जाना काफ़ी है, अगर जूड़ा सख़्त है तो खोलना होगा, वरना नही, और मर्द को तमाम सर के बाल फ़र्ज़, देखें बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:317 पर है

"सर के बाल गूँधे ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना (फ़र्ज़), और गूँधे हो तो मर्द पर फ़र्ज़ है की उन्हे खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाए, औरत पर सिर्फ़ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नही, हाँ, अगर जुड़ी/जुड़ा इतना सख़्त गुँधा हो की बिना खोले जड़ तर ना होगी, तो खोलना ज़रूरी है"

औरत को मर्द से ज़्यादा जिस्म पर पानी डालने मे एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए, मसलन-

*नाक की लोंग या कान के बुँदे के सुराख मे पानी, डालना,

*अंगूठी, छल्ले, बिच्छुए के नीचे पानी बहाना,

* अगर पिसतान (ब्रेस्ट) ढली (लटकी) हुई है तो उसे उठा कर उसके नीचे पानी बहाना

*मर्द औरत दोनो को पेर सही से धोना, खास कर घुटने के पीछे का हिस्सा क्यूंकी पेर मोड़ कर बैठने पर वो जगह सूखी रहने का खोफ़ है, इसी तरह अगर जिस्म पर चर्बी ज़्यादा है तो पिसतान की तरह पेट पर पड़ने वाले बल (चर्बी) के दरमियानी जगह भी धोए, यानी हर परत,

والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب

सुवाल 68

शादी मे दूलह दुल्हन को हल्दी लगाना ज़रूरी है क्या हल्दी लगने के बाद दुलहे को बाहर नही जाने देते कही भी इस्लाम मे दूलह और दुल्हन को हल्दी लगाने की कोई हदीस या किसी बुज़ुर्ग का क़ौल है क्या ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

रसमे शादी मे हल्दी जिसे उर्फ ए आम मे "**उबटन**" कहा जाता है, जाइज़ है, मगर ज़रूरी नही, यानी हल्दी रंग को निखारती है, इसे लगाने मे कोई हर्ज़ नही, शादी से कुछ दिन पहले दूल्हा या दुल्हन को उबटन लगाई जाती है, इसमे हर्ज़ नही मगर इस रस्म मे जो खुराफात होती है और हराम काम होते हैं उससे बचना फ़र्ज़ है, मसलन, दूलह को उसके घर की या ख़ानदान की ग़ैर मेहरम लड़किया उबटन ना लगाए, इसी तरह ना भाभी ना, चाचियाँ हत्ता की हर वो औरत जिससे पर्दा फ़र्ज़ है उससे दूलह को उबटन लगवाना या बदन छुआना हराम है, इसी तरह अगर दूलह को 3 दिन उबटन मे बिठाया और घर से बाहर ना जाने दिया और मस्जिद की जमाअत से नमाज़ अदा ना की तो भी गुनहगार की **जमाअत से नमाज़ वाजिब है**, और दूलह के हाथ मे मेहन्दी लगाना भी हराम, इसमे करना ये चाहिए की दुल्हन को लड़किया उबटन लगाए और वो पर्दे मे रहै, क्यूंकी उसे घर मे ही नमाज़ पढ़नी है, और दूलह बाद ईशा खुद लगा कर सो जाए और सुबह नहा कर फज्र पढ़ ले और ये काम वो खुद भी शादी से कई दिन पहले कर सकता है, इससे नमाज़ भी बाकी रहैगी और उबटन भी लग जाएगी, यानी ऐसा नही है की उबटन के बाद दूलह बाहर नही जा सकता, बेहतर ये है की 3 दिन की उबटन हो या 7 दिन की बाद ईशा ही लगाए क़ब्ल फज्र धो डाले, **मगर किसी जाइज़ रस्म मे नाजाइज़**

काम शामिल होने से वो रसम नाजाइज़ नही होती, बस उस नाजाइज़ काम को दूर करना चाहिए, ना की रस्म को बुरा या ग़लत समझना चाहिए"

फतावा राज़विया जिल्द:22 सफह:245 पर है

"उबटन मलना जाइज़ है....बालिग के बदन मे ना-मेहरम औरतों का मलना नाजाइज़ है, और बदन को हाथ तो मां भी नही लगा सकती ये हराम और अशद हराम है

وھُو تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 69

ये इरशाद फरमाइए की निकाह के बाद एक औरत के लिए शोहर का हुक़ूक़ ज़ियादा है या औरत के वालिदेन का हुक़ूक़ ? वो अपने बाप मां की बात माने या शोहर के हुक्म की तामील करे ? (यहा हुक्म जो भी है ग़ैर शरई नही है) एक औरत के लिए उसका शोहर कितना लाज़मी है?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحیم

सुवाल की महैक से मालूम हो रहा है साइल इसका जवाब खुद जानता है, मगर अपनी क़ौल को तक़वीय्यत देने के लिए जवाब चाहता है, वैसे तो सुवाल बहुत कड़वा है, और अक्सर औरत के ये खुसुसियत होती है की हक़ उन्हें इतना कड़वा लगता है की वो उसे हलक से नीचे नही उतार पाती, हक़ ये है की, **औरत पर उसके शोहर का हक़, वलिदैन से ज़्यादा है**, यहा तक की, अगर शोहर औरत को उसके बाप के मरने पर भी जाने को मना करे तो औरत को आदमी के हुक्म की पेरवी लाज़िम है, और बाप के जनाज़े पर जाना मना होगा, इस हुक्म से हर अक़ल वाला अंदाज़ा लगा सकता है की औरत पर शोहर की बात मानने को इस्लाम ने कितना

ज़रूरी क़रार दिया, और तो और अगर शोहर सर से पावं तक खून और पीप मे सना हो और औरत अपने शोहर को ज़ुबान से चाट कर भी साफ करे तो अपने शोहर का हक़ अदा ना कर सकेगी, और शोहर अगर लाल पहाड़ के पत्थर काले पहाड़ पर ले जाने को कहै तो औरत को फोरन इस काम भी लग जाना चाहिए, और ये मिसाले हदीसी है, इसका मतलब ये होता है की, मर्द, औरत को जैसा भी जाइज़ काम कहै, उसे कोशिश मे लग जाना चाहिए चाहै नाकाम हो जाए, इसकी मिसाल यूँ समझे, अगर शोहर कहै की मुझे अब रोज़ रात 3 बजे खाना चाहिए, तो औरत को बजाए हीले बहाने बनाना के इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर करनी चाहिए, और कोशिश भी करनी चाहिए, भले ही उठने मे नाकाम रहै, क्यूंकी इज़हार की नियत करने पर भी सवाब होता है, अब रहा ये की औरत पर शोहर का हक़ ज़्यादा इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है, की खुदा के बाद दूसरा सजदा वालिदेन को नही होता बल्कि शोहर को होता, अक़्ल वाला इससे समझ जाएगा की हक़ ज़्यादा किसका है, लिहाज़ा औरत को शोहर के हर जाइज़ हुक्म की पेरवी खुशी से करनी चाहिए, (आलाहज़रत ने एक मुकाम पर फ़रमाया की अगर शोहर चाहै की उसकी बीवी मोटी हो तो औरत को अपना मोटापा बढ़ाने में लग जाना चाहिए)

मगर दौर पुर्फितन है, ज़्यादा तर, औरतें हर्रापा, होती है, और कहती है की क्या वालिदेन कुछ नही ? जबकि ऐसा नही, वालिदेन का हक़ भी कभी ख़तम नही होता, वालिदेन का हक़ उनकी जगह है, शोहर का उसकी जगह, आप गौर करें, शरीअत ने वालिदा का दर्जा इतना बुलंद किया, मगर बाज़ हुक्म मे वालिदा को पीछे करके बीवी को उसके आगे किया शरीअत ने सब के हक़ की हिफ़ाज़त की है, इसकी मिसाल यूँ समझे की

अगर किसी मर्द के दोनो हाथ नही है तो उसे इस्तिंजा माफ़ है, यानी वालिदा भी इस्तिंजा नही करवा सकती (अदब के भी खिलाफ है) मगर बीवी चाहै तो उसे इस्तिंजा करवा सकती है, फ़रक़ अक़्ल का है की, सबके हक़ अपनी जगह होते है, और **बाज़ शोहर खुद को बीवी के खुदा समझते है**, की अपने हक़ के आगे दूसरो के हक़ को समझते ही नही, उन्हे भी चाहिए की अपनी आदत को बदले, 10 मे से 10 ना सही मगर 4-5 बाते तो (जाइज़) बीवी की भी मान लिया करे, और बीवी को भी चाहिए, की शोहर जिस चीज़ से बाज़ रखे, बाज़ रहै की वो उसका **आका** है, मेरा मशवरा ये है की, शोहर अपनी बीवी को अगर इस बात का हुक्म दे की जब भी काम से शाम को घर आए तो बीवी उसके हाथ चूमे, यानी शोहर बीवी पर इस हुक्म को लाज़िम कर दे, और जब ऐसा होने लगेगा तो इसके फायदे नज़र आएँगे, की अव्वल तो जब औरत शोहर के हाथ चूमेगी तो उसका (औरत का) तकब्बुर जाता रहैगा, की औरत मे तकब्बुर ज़्यादा होता है, फिर वो आइन्दा इस बात का ख्याल भी रखेगी की ना बहैस करेगी, ना ज़ुबान दराज़ी, क्यूंकी फिर उसे उसके आगे झुक कर हाथ चूमना ही है, तो उसके दिमाग़ मे ये बात घर कर जाएगी, की भला मैं जिसके हाथ चूम कर इज़्ज़त देती हूँ, उससे बदज़ुबानी कैसे कर सकती हूँ, की हाथ चूमे ही इसलिए जाते है जिसे आदमी इज़्ज़त देता है, फिर भी अगर औरत की ज़ुबान दराज़ी बंद ना हो तो हाथ चूमने का सिलसिला बंद ना करवाए, चाहै घर मे हो या ससुराल मे, औरत मे बदलाव ना सही, कम से कम बच्चो पर तो इसका असर पड़ेगा ही, यानी वार खाली नही जाएगा, और जब औरत, शोहर के घर आने पर हाथ ना चूमे, या परहैज़ करे, तो समझो तकब्बुर बाकी है, और उसे अमल याद

दिलाता रहै, और जो औरत अपने शोहर के हाथ चूमने पर राज़ी ना हो. या शोहर के घर आने पर ताज़िमन खड़ी होने को बोझ समझती हो **"वो या तो तकब्बुर वाली है, या मुनाफ़िक़ (मुनाफिके अमली)"**

واللہ تعالیٰ أعلمُ بالصواب

सुवाल 70

क्या हुक्म है हदीसे- पाक मे इस बारे मे के किसी बा- शरा सुन्नी सहिहुल अक़ीदा रिस्तेदार से बेवजह या किसी फुरुई वजह से बात चीत और कलाम ओ सलाम बंद कर देना या रिश्ता तोड़ने वाले के लिए क्या हुक्म है क्या वईदे हैं इरशाद फरमाइए

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

बिला वजह शरई रिश्तेदार से क़तअ ताल्लुक़ करना हराम है, बुखारी मे है-

لا يحل لرجل يهجر اخاه فوق ثلث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخير هماالذى يبدأ بالسلام

(आदमी को हलाल नही की अपने मुसलमान भाई को तीन रात से ज़्यादा छोड़े, राह मे मिले तो ये इधर मुँह फेर ले या उधर मुँह फेर ले, और उनमे बेहतर वह है जो पहले सलाम करे,)

मुसनद अहमद – मे है

لايحل لمسلم ان يجهر اخاه فوق ثلث فمن هجر فوق ثلث فمات دخل النار

(मुसलमान को हलाल नही की मुसलमान भाई को तीन रात से ज़्यादा छोड़े, जो तीन रात से ज़्यादा छोड़े, और इसी हालत मे मरे वह जहन्नम मे जाएगा)

फतावा रज़वीय्या जिल्द: 6 सफह: 597 पर है

“बिला वजह शरई तीन दिन से ज़्यादा मुसलमान से क़तअ ताल्लुक़ हराम है”

واللہ تعالٰی اعلم

ماشاء اللہ لاقوۃ الا باللہ

इसमें और भी मज़ीद सुवालात दर्ज होने की उम्मीद है .

More book - www.smswarsi.com





